सत्यमेव जयते

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम)
के लिए
दिशानिर्देश

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

दिसम्बर, 2014

विषय सूची:

1.**प्रस्तावना** 03

2. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी-सिंहावलोकन **03**

2.1 मिशन के उद्देश्य.....03

2.2. मिशन की अवधि.....04

2.3. मिशन के घटक..... 04

2.4. मिशन कवरेज: शहर और लक्ष्यित आबादी.....04

2.5. मिशन की कार्यनीति 05

2.6 मिशन परिव्यय 05

3. स्वच्छता कार्यनीति की अवधारणा 6-7

4. एसबीएस (शहरी) घटक **I:** पारिवारिक शौचालयों का प्रावधान 7-10

5. एसबीएस (शहरी) घटक **II:** सामुदायिक शौचालय 10-12

6. एसबीएस (शहरी) घटक **III:** सार्वजनिक शौचालय 12-13

7. एसबीएस (शहरी) घटक **IV:** ठोस अपशिष्ट प्रबंधन 13-15

8. एसबीएस (शहरी) घटक **V:** आईईसी एवं जनजागरूकता 15-17

9. एसबीएस (शहरी) घटक **VI:** क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय 17-18

10. वित्तपोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रिया 19

10.1. वित्तपोषण पद्धति.....19

10.2. अनुदान बनाम व्यवहार्यता अंतराल निधि के बारे में स्पष्टीकरण.....**19-20**

10.3. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन.....21-22

10.4. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का संवितरण...22-23

10.5. परियोजनाओं की मंजूरी (विस्तृत परियोजना रिपोर्टें).....24

11. मिशन प्रबंधन अवसंरचना 24

11.1. राष्ट्रीय स्तर पर एसबीएम (शहरी).....24-25

11.2. राज्य स्तर पर एसबीएम (शहरी).....25-27

11.3 शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय.....27

12. निगरानी एवं मूल्यांकन (एम एवं ई) 27-28

13. प्रतीक चिन्ह एवं टैग लाईन 28

14. अनुलग्नक **I-V** 29 -65

1. प्रस्तावना

1.1 जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की शहरी आबादी 377 मिलियन अथवा कुल जनसंख्या का 31 प्रतिशत है। इस आबादी के वर्ष 2031 तक 600 मिलियन तक बढ़ जाने की संभावना है। जनगणना 2011 यह भी दर्शाता है कि 4041 सांविधिक कस्बों में लगभग 8 मिलियन परिवारों के पास शौचालय नहीं है और वे (7.90 मिलियन) खुले में शौच करते हैं । कम स्वच्छता से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भारत में शहरों से अशोधित सीवेज जल संसाधनों के प्रदूषण का एक मात्र सबसे बड़ा स्रोत है। यह भारतीय शहरों के सामने बड़ी चुनौती और इतनी बड़ी धनराशि खर्च करने के बावजूद इसको दूर नहीं कर पाना, दोनों को दर्शाता है।

1.2 स्वच्छ भारत मिशन की उत्पत्ति दिनांक 09 जून 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के संयुक्त सत्र के संबोधन में व्यक्त किए गए सरकार के निम्नवत विजन से हुई है:-

> "हम ऐसी अपमानजनक स्थिति को सहन नहीं करेंगे जिसमें घरों में शौचालय न हों और सार्वजनिक स्थान गंदगी से भरे हों। देश भर में स्वास्थ्यकर परिस्थितियां (हाइजिन), कचरा प्रबंधन और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए "स्वच्छ भारत मिशन" चलाया जाएगा। ऐसा करना महात्मा गांधी को उनकी 150वीं जयंती पर हमारी श्रद्धांजलि होगी जो वर्ष 2019 में मनाई जाएगी।"

स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्रमश: शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) और पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय (एमओडीडब्ल्यूएस) द्वारा किया जा रहा है। ये दिशानिर्देश स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के कार्यान्वयन हेतु हैं ।

2. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी-सिंहावलोकन

2.1 मिशन के उद्देश्य

2.1.1 खुले में मल त्याग की प्रथा को समाप्त करना।

2.1.2 हाथ से सफाई करने की प्रथा समाप्त करना।

2.1.3 नगरीय ठोस अपशिष्ट का आधुनिक और वैज्ञानिक प्रबंधन ।

2.1.4 स्वस्थ स्वच्छता संबंधी आदतों के संबंध में लोगों के व्यवहार में बदलाव लाना।

2.1.5 स्वच्छता और जल स्वास्थ्य से इसके संबंध के बारे में जागरूकता लाना।

2.1.6 शहरी स्थानीय निकायों हेतु क्षमता संवर्द्धन ।

2.1.7 केपेक्स (पूंजीगत व्यय) और ओपेक्स (प्रचालन एवं अनुरक्षण) व्यय में निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए उपयुक्त वातावरण बनाना।

2.2 मिशन की अवधि

यह मिशन 2 अक्टूबर 2019 तक लागू रहेगा।

2.3 मिशन के घटक

इस मिशन के निम्नलिखित घटक हैं:

2.3.1 अस्वच्छकर शौचालयों को जलवाही शौचालयों में बदलने सहित पारिवारिक शौचालय।

2.3.2 सामुदायिक शौचालय।

2.3.3 सार्वजनिक शौचालय।

2.3.4 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।

2.3.5 आईईसी एवं जन जागरूकता।

2.3.6 क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए एण्ड ओई) ।

सार्वजनिक शौचालयों के माध्यम से यह बताया जाता है कि बाजारों, ट्रेन स्टेशनों, पर्यटन स्थलों, कार्यालय परिसर के नजदीक, अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र जहां पर्याप्त लोग गुजरते हैं, जैसे स्थानों में अस्थिर जनसंख्या/आम जनता के लिए इन्हें मुहैया कराया जाना है।

सामुदायिक शौचालयों के माध्यम से यह बताया जाता है कि यह रिहायशी व्यक्तियों के समूह अथवा पूरी बस्ती के लिए मुहैया कराई गई अंशदायी सुविधा है। सामुदायिक शौचालय ब्लॉक का उपयोग प्राथमिक रूप से अल्प आय एवं/अथवा अनौपचारिक बस्ती/स्लमों में किया जाता है जहां पारिवारिक शौचालय मुहैया कराने में स्थान और/अथवा भूमि की समस्या है। यह अधिक अथवा कम निर्धारित प्रयोक्ता समूह के लिए है।

2.4 मिशन कवरेज: शहर और लक्षित आबादी

2.4.1 मिशन के तहत सभी सांविधिक कस्बें शामिल किए जाएंगे। सांविधिक कस्बा की परिभाषा **अनुलग्नक-I** में दी गई है।

2.5 मिशन की कार्यनीति

2.5.1 व्यापक स्वच्छता योजना जिसमें निम्न शामिल हैं:-

(क): शहर स्तरीय स्वच्छता योजनाएं

(ख): राज्य स्वच्छता संकल्पना अनुलग्नक IV के अनुसार ।

(ग): राज्य स्वच्छता कार्यनीति

2.5.2 व्यवहार परिवर्तन कार्यनीति एवं आईईसी।

2.5.3 निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए अनुकूल माहौल बनाना ।

2.5.4 क्षमता निर्माण।

2.5.5 विशेष लक्षित समूह: राज्य सरकारें निम्नलिखित के संबंध में कार्रवाई करेंगी:

i. शहरी क्षेत्रों में सभी हाथ से मैला ढ़ोने वालों की पहचान की जाएगी, उनके रोजगार से जुड़े अस्वच्छकर शौचालय को स्वच्छकर शौचालय में बदला जाएगा, और हाथ से मैला ढ़ोने वालों को उचित ढंग से बसाया जाएगा।

ii. यूएलबी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को सुचारु एवं औपचारिक बनाने के अपने प्रयासों में उसका यह प्रयास होगा कि अपशिष्ट प्रबंधन (कूड़ा उठाने वाले) में अनौपचारिक क्षेत्र के कामगारों को उनके कार्य स्थितियों को बेहतर बनाने को प्राथमिकता दी जाय और शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में उन्हें शामिल किया जाय और समेकित किया जाए।

iii. शहरी क्षेत्रों में प्रवासियों एवं बेघरों के लिए सभी अस्थायी आवास में या तो परिसरों अथवा सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालय से जुड़े शौचालयों का पर्याप्त प्रावधान है ।

iv. यह अधिदेश है कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण श्रमिकों के लिए शहरी क्षेत्रों, भवनों, पार्कों और सड़कों, जहां निर्माण/अनुरक्षण कार्य चल रहा है अथवा जहां निर्माण श्रमिक अस्थायी रूप से रहते हैं, में सभी स्थानों पर अस्थायी शौचालय होना चाहिए ।

v. पेंशनभोगियों, लड़कियों, गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं जैसे कमजोर वर्गों वाले परिवारों को शामिल करने के लिए अतिसक्रियता से प्राथमिकता दी जाएगी।

2.6 मिशन परिव्यय

विभिन्न घटकों के लिए इकाई तथा प्रति व्यक्ति लागत के आधार पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के कार्यान्वयन की अनुमानित लागत 62,009 करोड़ रू0 है। अनुमोदित वित्तपोषण पद्धति के अनुसार भारत सरकार का अंश 14,623 करोड़ रू0 है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के वित्तपोषण के 25 प्रतिशत के बराबर अर्थात् 4874 करोड़ रू0 की न्यूनतम अतिरिक्त धनराशि राज्य/ यूएलबी अंश के रूप में राज्यों द्वारा प्रदान की जाएगी। शेष धनराशि वित्त पोषण के विभिन्न अन्य स्रोतों, जो निम्नलिखित तक सीमित नहीं है के माध्यम से, से सृजित की जानी प्रस्तावित है:-

क. निजी क्षेत्र की भागीदारी।

ख. राज्य सरकार/यूएलबी से अतिरिक्त संसाधन ।

ग. लाभार्थी अंश ।

घ. प्रयोक्ता प्रभार।

ङ. भूमि से प्राप्त ।

च. नवीन राजस्व स्रोतों ।

छ. स्वच्छ भारत कोष।

ज. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ।

झ. बाजार से ऋण ।

ञ. वाह्य सहायता ।

3 स्वच्छता कार्यनीति की अवधारणा:

यह समझा जाता है कि उचित **नगर स्वच्छता योजना** और परिणामी **राज्य स्वच्छता कार्यनीति** जैसाकि राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति-2008 में उल्लेख किया गया है, के बिना स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यापक आयोजना नहीं की जा सकती है। तथापि, दोनों गतिविधियों में समय और नागरिकों की संलिप्ता सहित विभिन्न स्तरों पर व्यापक परामर्श की अपेक्षा होगी। यह भी ज्ञात है कि यद्यपि कई राज्यों और शहरों ने इन योजनाओं और कार्यनीति को तैयार किया है और अनेकों ने ऐसा नहीं किया है।

स्वच्छ भारत मिशन में तेजी लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि सभी राज्य अपने प्रारंभिक प्रस्ताव के भाग के रूप में इन दिशानिर्देशों के **अनुलग्नक-IV** में दिए अनुसार **राज्य स्वच्छता कार्यनीति पर संक्षिप्त अवधारणा नोट** प्रस्तुत करें ताकि वे पारिवारिक शौचालयों, आईईसी तथा

क्षमता निर्माण के लिए अपनी प्रथम किस्त के साथ-साथ अन्य घटकों के लिए आवर्ती कोष का दावा प्रस्तुत कर सके।

राज्य सरकारों द्वारा 30 जनवरी 2015 तक शहरी विकास मंत्रालय को अवधारणा नोट और प्रस्ताव आनलाइन प्रस्तुत किए जाएंगे।

तथापि, राज्यों को राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 के अनुसार प्रत्येक शहर के लिए इसके साथ-साथ नगर स्वच्छता योजना और राज्य स्वच्छता कार्यनीति तैयार करना चाहिए क्योंकि राज्यों को आगे की किस्तें जारी करने से पहले इन्हें तैयार किया जाना अपेक्षित होगा ।

4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक-I; पारिवारिक शौचालय

4.1 एसबीएम (शहरी) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

क) कोई भी परिवार खुले में शौच न करें,

ख) मिशन अवधि के दौरान किसी नए अस्वच्छकर शौचालय का निर्माण नहीं किया जाए और

ग) पिट शौचालयों को स्वच्छकर शौचालयों में परिवर्तित किया जाए ।

अत: शौचालयों की पारिवारिक इकाई के निर्माण हेतु लक्ष्य समूह निम्न है:

(i) खुले में शौच करने वाले 80 प्रतिशत शहरी परिवार।

(ii) अस्वच्छकर शौचालयों वाले सभी परिवार ।

(iii) एकल-पिट शौचालय वाले सभी परिवार ।

मिशन अवधि के दौरान पारिवारिक शौचालय अथवा व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु इस घटक के अंतर्गत इन्हें लक्ष्य बनाया जाएगा। खुले में शौच करने वाले शेष 20 प्रतिशत परिवारों को स्थान की समस्या के कारण सामुदायिक शौचालयों द्वारा शामिल किया जाएगा।

4.2 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत निर्मित **पारिवारिक शौचालयों** में दो मुख्य संरचनाएं होंगी – शौचालय मुख्य संरचना (पैन और जलवाही शौचगृह सहित) और उप संरचना (जिसमें या तो उस स्थल पर शोधन प्रणाली हो अथवा भूमिगत विद्यमान सीवरेज प्रणाली का कनेक्शन हो) ।

4.2.1 यदि प्रस्तावित पारिवारिक शौचालय के 30 मीटर के भीतर एक सीवरेज प्रणाली उपलब्ध हो तो शौचालय की मुख्य संरचना का ही निर्माण किया जाए तथा उसे विद्यमान सीवरेज प्रणाली से जोड़ दिया जाए । शहरी स्थानीय निकाय को जहां भी लागू हो अथवा किफायती हो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत पारिवारिक शौचालयों के लिए इन कनेक्शनों की सुविधा अवश्य प्रदान करनी चाहिए ।

4.2.2 प्रस्तावित पारिवारिक शौचालय से 30 मीटर के भीतर सीवरेज प्रणाली उपलब्ध न होने की स्थिति में शौचालय की मुख्य संरचना के निर्माण के अतिरिक्त उस स्थल पर एक शोधन प्रणाली (यथा दो गर्त वाले शौचालयों, सैप्टिक टैंको, जैविक डायजेस्टर्स अथवा जैविक-टैंको) को संग्रहण, शोधन हेतु तैयार/अथवा सीवरेज निपटान स्थल पर अथवा संग्रहण होने वाले स्थल के निकट भी निर्मित किया जाना चाहिए ।

4.2.3 शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत निर्मित किए जा रहे सभी पारिवारिक शौचालय शहरी स्थानीय निकायों के क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था वाले स्थान के आगे-पीछे निर्मित किए जा रहे हैं । पारिवारिक शौचालयों के प्रचालन और अनुरक्षण हेतु लाभार्थी परिवार उत्तरदायी होंगे । सुझाए गए तकनीकी विनिर्देशन, प्रौद्योगिकियों और पारिवारिक शौचालयों की अनन्तिम लागत अनुलग्नक-।। पर उपलब्ध है ।

4.3 इस घटक के लिए, लाभार्थी का आशय कोई परिवार जिसके पास व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है अथवा अस्वच्छ शौचालय है (शुष्क/वहाव और एकल गर्त शौचालय) । कोई अन्य मानक लागू नहीं होंगे ।

4.3.1 लाभार्थी परिवार का चयन राज्य सरकार के मार्गदर्शन में यूएलबी द्वारा अपनाई गई कार्यनीति के अनुसार किया जाएगा । तथापि, निम्नलिखित पथ प्रदर्शक सिद्धान्तों को अपनाया जाए :

(i) प्रारंभ में, लाभार्थियों को स्वयं आगे आने के लिए प्रोरित करने हेतु जागरूकता लाने के लिए एक अभियान चलाया जा सकता है । इसे शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर आरंभ किया जाना चाहिए और तत्पश्चात एक सामान्य आवेदन तथा एक वचनपत्र जिसे यूएलबी स्तर पर 7 दिनों के भीतर प्रमाणित और अनुमोदित किया गया हो, स्वीकार किया जाए ।

(ii) यूएलबी द्वारा घर-घर जाकर सर्वेक्षण किए जाने की आशा की जाती है । ऐसा करते हुए, वे 2011 की जनगणना आंकडा अथवा अपने पास उपलब्ध हाल के किसी सर्वेक्षण को विचारार्थ ले सकेंगे । इस आधार लाइन आंकडे को 15.2.2015 तक सार्वजनिक करना होगा ।

(iii) प्राप्त दावों और आपत्तियों का पारदर्शी तरीके से समाधान किया जाएगा तथा आधार लाइन आंकडो में निरन्तर संशोधन किए जा सकते हैं ।

(iv) इस घर-घर जाकर सर्वेक्षण के आधार पर, खुले में शौच करने वाले सभी परिवारों की पहचान की जाएगी और शहरी स्थानीय निकाय को प्रत्येक ऐसे चयनित परिवार/परिवार समूह के लिए या जो एक पारिवारिक शौचालय अनुमोदित करने अथवा सामुदायिक शौचालयों की योजना बनाने की अपेक्षा होगी ।

4.3.2 लाभार्थी परिवारों को इस स्कीम के तहत लक्षित किया जाएगा भले ही वे अधिकृत/अनिधकृत कालोनियों अथवा अधिसूचित/गैर- अधिसूचित स्लमों में रहते हों । स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)के तहत लाभों से स्वामित्व अधिकार संबंधी मुद्दों को पृथक किया जाना है ।

4.3.3 राज्यों और यूएलबी को यह सुनिश्चित करना होगा कि व्यक्तिगत परिवारिक शौचालयों वाले लाभार्थियों की अधिकतम संख्या सामान्यतया 2011 की भारत की जनगणना में प्रत्येक कस्बे के लिए उल्लिखित संख्या तक सीमित होगी ।

4.4 पारिवारिक शौचालयों के निर्माण हेतु प्रत्येक चयनित लाभार्थी परिवार के लिए केन्द्र सरकार का प्रोत्साहन 4,000 रू0 प्रति पारिवारिक शौचालय होगा ।

4.4.1 यूएलबी द्वारा चयनित लाभार्थी परिवार को राज्य सरकार के अंश के साथ-साथ यूएलबी के अनुमोदन पर प्रथम किस्त के रूप में केन्द्र सरकार के प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत (2000 रू0) जारी किया जाएगा । राज्य सरकार/यूएलबी द्वारा सृजित /मुहैया अतिरिक्त संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी स्तर पर किसी अतिरिक्त निधि को जारी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है ।

4.4.2 किसी प्रकार के प्रोत्साहन को जारी करने से पूर्व यूएलबी प्रत्येक आवेदन को सत्यापित करेगा । लाभार्थी द्वारा आवेदन को प्रस्तुत करने के 7 दिनों के भीतर आवेदन का सत्यापन कार्य पूरा किया जाना चाहिए ।

4.4.3 चयनित लाभार्थी परिवार को द्वितीय किस्त के रूप में केन्द्र सरकार के प्रोत्साहन का 50 प्रतिशत पारिवारिक शौचालय के निर्माण की वास्तविक प्रगति के सत्यापन पर राज्य सरकार के प्रोत्साहन के साथ जारी किया जाएगा । सत्यापन की वास्तविक प्रक्रिया संबंधित राज्य सरकार के निर्देशानुसार शुरू की जाएगी ।

4.4.4 पारिवारिक शौचालय के निर्माण का अंतिम सत्यापन स्थल-आधारित प्रौद्यागिकियों द्वारा सहायित होना चाहिए, जिसमें निर्माण के जैविक रूप से चिन्हित स्व-सत्यापित फोटोग्राफ सहित आवेदक के फोटोग्राफ लिए जाएंगे । यह फोटोग्राफ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) एमआईएस पर अपलोड किए जाएं और यूएलबी तथा राज्यों द्वारा उनकी निगरानी की जाए ।

4.4.5 इस घटक हेतु सभी वित्तीय लाभ (सरकारी और /अथवा निजी) लाभार्थी परिवार के बैंक खाते में (प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खोले गए खातों सहित) सीधे जमा (इलेक्ट्रानिकी क्लेरिंग सेवा द्वारा) किया जाएगा । कोई नकद/चैक वितरण नहीं किया जाएगा।

यूएलबी को सुनिश्चित करना होगा कि लाभार्थी परिवारों को वित्तीय लाभ यथा समय और कठिनाई मुक्त तरीके से अन्तरित किया जाए । राज्य सरकार को समग्र राज्य में इसके मानक नियमों को विकसित करना होगा और इसके कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करनी होगी ।

5. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक-।।: सामुदायिक शौचालय

5.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, यह अनुमान लगाया गया है कि शहरों में लगभग 20 प्रतिशत शहरी परिवार, जो खुले में शौच करते हैं, व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय के निर्माण हेतु भूमि तथा स्थान की कमी के कारण समाधान के रूप में सामुदायिक शौचालयों का उपयोग कर सकते हैं ।

5.2 सामुदायिक शौचालय ब्लाकों में आवश्यकतानुसार पैन और जलवाही शौचालय सहित निर्धारित शौचालय सीटें, शौचालय अधोसंरचना और उपसंचरना (या तो उस स्थल पर शोधन प्रणाली अथवा भूमिगत सीवरेज/सेप्टेज प्रणाली के लिए कनेक्शन) जिसमें सभी शौचालय सीटों के साथ भागीदारी होती है तथा हाथ धोने की सुविधा होती है, शामिल हैं ।

5.2.1 यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जानी चाहिए कि इन सुविधाओं में पुरूषों, महिलाओं के लिए शौचालय और नहाने की पृथक सुविधाओं तथा विकलांगो के लिए सुविधाओं (अर्थात रैंप का प्रावधान, ब्रेली संकेतक आदि) का पर्याप्त प्रावधान हो ।

5.2.2 साइट पर प्रणाली अधो-संरचना के लिए कनेक्शन अथवा किसी भूमिगत सीवरेज प्रणाली के लिए कनेक्शन हेतु उपर्युक्त पैराग्राफ 4.2.1 और 4.2.2 में यथा परिभाषित मानदण्ड यहां लागू होंगे ।

5.2.3 यूएलबी यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत निर्मित किए जा रहे सभी सामुदायिक शौचालयों को यूएलबी में जलापूर्ति व्यवस्थाओं वाले स्थल के आगे-पीछे बनाया जाए । सुझाए गए तकनीकी विनिर्देशन, प्रौद्योगिकियां और सामुदायिक शौचालयों की अनन्तिम लागत **अनुलग्नक-।।** पर उपलब्ध है ।

5.3 इस घटक के लिए ***लाभार्थी,*** शहरी क्षेत्रों में परिवारों का एक समूह होगा ('लाभार्थी परिवार समूह') जिनमें लोग खुले में शौच करते हैं और उनके पास पारिवारिक शौचालय नहीं है तथा जिनके लिए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण करना संभव नहीं है । स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के इस घटक के तहत लाभार्थी परिवार समहों का चयन यूएलबी द्वारा तैयार प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा । यह समुदाय आधारित संगठनों की सहभागिता अथवा बिना सहभागिता के आवदेन अथवा सर्वेक्षण के आधार पर होगा । नागरिक सोसाइटी संगठनों को शामिल किए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा । इस प्रयोजनार्थ गैर सरकारी संगठनों, क्षेत्र, वार्ड अथवा मोहल्ला सभाओं का उपयोग किया जा सकता है । इस स्कीम के तहत लाभार्थी परिवार समूहों को इस बात का ध्यान किए बिना लक्षित किया जाएगा कि वे अधिकृत /अनधिकृत कालोनियों अथवा अधिसूचित /गैर-अधिसूचित स्लमों में रहते हैं । स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत, स्वामित्व अधिकार संबंधी मुद्दों को लाभों से अलग किया जाएगा ।

5.4 परिवारों की पर्याप्त संख्या वाले एक समूह को चिन्हित कर लेने पर शहरी स्थानीय निकाय उनके आवासों/बसावट के समीप उपयुक्त भूखंड चिन्हित करेगा तथा शौचालय ब्लॉक का डिजाइन तैयार करेगा। भूमि से लाभ अर्जन, छत का प्रयोग या किन्ही अन्य माध्यमों द्वारा राजस्व सृजन के सभी संभव स्रोतों पर ध्यान देते हुए प्रयास किए जाने चाहिए।

5.5 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार का प्रोत्साहन 40% अनुदान/वीजीएफ के रूप में होगा जो प्रत्येक निर्मित सामुदायिक शौचालय ब्लॉक के लिए होगा। शेष धनराशि उपर्युक्त पैरा 2.6 में दिए गए अनुसार सृजित करनी होगी ।

5.6 परियोजनाएं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार तथा स्वीकृत की जाएंगी। संपूर्ण परियोजना अनुमोदन तथा प्रापण प्रक्रिया में, शहरी स्थानीय निकायों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का पूर्णता से पालन होना चाहिए। केन्द्रीय धनराशि को जारी करने के अतिरिक्त संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पूरी की जाएंगी। इस स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को यह पहले न किया गया हो। राज्यों द्वारा सशक्त बनाए जाने की आवश्यक है। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को भूमि आबंटन (इस प्रयोजन हेतु) के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा सामु दायिक शौचालय को एक व्यवहार्य परियोजना बनाने के लिए इस भूमि से लाभ लेने के तंत्र शामिल हैं।

5.7 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी निर्मित सामुदायिक शौचालयों का न्यूनतम 5 वर्ष का रख-रखाव ठेका होना चाहिए ।

5.8 सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं के लिए 75% केन्द्रीय अंश की बराबरी हेतु राज्यों को न्यूनतम 25% धनराशि का योगदान करना होगा। (पूर्वोत्तर तथा विशेष वर्ग के राज्यों के लिए यह 10% है)

6. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक-।।। : सार्वजनिक शौचालय

6.1 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत, राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक शहर में पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। शहर के भीतर सभी प्रमुख स्थानों में आने-जाने वाली अस्थायी जनसंख्या को इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए।

6.2 यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जाए कि जहां कहीं आवश्यक हो इन सुविधाओं में महिलाओं, पुरूषों के लिए पर्याप्त प्रावधान हो तथा अशक्त के लिए (अर्थात् रैंप प्रावधान, ब्रेल साइनेज आदि)। सुविधाएं हों । सार्वजनिक शौचालयों के सुझाए गए तकनीकी विनिर्देशन, प्रौद्योगिकियां तथा अस्थायी लागत **अनुलग्नक-।।** पर दी गई है।

6.3 शहरी स्थानीय निकायों को सुनिश्चित करना होगा कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत निर्मित स्थानीय निकायों की जलापूर्ति व्यवस्थाओं के समानुक्रम में बनाए जा रहे हैं।

6.4 स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण के लिए केन्द्र सरकार की कोई प्रोत्साहन सहायता नहीं दी जाएगी। राज्यों तथा शहरी स्थानीय निकायों को सार्वजनिक शौचालयों के लिए भूमि चिन्हित करने तथा इस भूमि का लाभ लेने और सार्वजनिक निजी भागीदारी समझौते के माध्यम से सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण तथा प्रबंधन हेतु निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। भारत सरकार के अनुदान के अलावा सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में किसी अतिरिक्त माध्यम से वित्त सहायता का प्रयोग किया जा सकता है।

6.5 परियोजनाएं शहरी स्थानीय निकायों द्वारा तैयार, स्वीकृत तथा कार्यान्वित की जाएंगी। संपूर्ण परियोजना अनुमोदन तथा प्रापण प्रक्रिया में, शहरी स्थानीय निकायों के लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का पूर्णता के साथ पालन होना चाहिए। केन्द्रीय धनराशि को जारी करने के अतिरिक्त संपूर्ण अनुमोदन प्रक्रिया शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) स्तर पूरी की जाएंगी। इस स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों को यदि यह पहले न किया गया हो तो राज्यों द्वारा सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है । इसमें शहरी स्थानीय निकायों को भूमि आबंटन (इस प्रयोजन हेतु) के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन तथा सार्वजनिक शौचालय को एक व्यवहार्य परियोजना बनाने के लिए इस भूमि से लाभ लेने के तंत्र शामिल हैं।

6.6 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सभी निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का न्यूनतम 5 वर्ष के लिए रख-रखाव का ठेका होना चाहिए।

7. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक IV: ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

7.1 म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एमएसडब्ल्यूएम) का संबंध एक व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसमें अपशिष्ट पृथक्करण तथा स्रोत पर भंडारण, प्राथमिक संग्रहण, द्वितीयक भंडारण, परिवहन, द्वितीयक पृथक्करण, स्रोत पर पुनप्राप्ति, प्रसंस्करण, शोधन तथा ठोस अपशिष्ट का अंतिम निपटान सम्मितिल हैं। शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर संशोधित म्यूनिसिपल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, 2000 पर मैनुअल का विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने तथा कार्यान्वयन के लिए संदर्भ लिया जा सकता है।

7.2 शहरी स्थानीय निकायों को राज्य सरकारों के परामर्श से अपने शहर के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी होगी। छोटे शहर निजी निवेश आकर्षित

करने के लिए व्यवहार्य इकाई बनने हेतु समूहों का गठन कर सकते हैं। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) तैयार करने के लिए एनएआरसी द्वारा निर्धारित इकाई लागत तथा शर्तों के अनुसार 100% लागत प्रतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा की जाएगी ।

7.3 राज्य सरकारें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निजी या सरकारी एजेंसियों को सूचीबद्ध/संक्षिप्त सूची बना कर/चिन्हित कर एसएमडब्ल्यू के लिए शीघ्रता से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने हेतु यूएलबी को कह सकती है।

7.4 एक व्यवहार्य वित्तीय प्रारूप वाली विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बैंक को स्वीकार्य होनी चाहिए। नगर स्वच्छता योजना में पहचान की गई आवश्यकताओं से उत्पन्न इन रिपोर्टों को तैयार किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी की गई एनयूएसपी 2008, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, परामर्शिका, सीपीएचईईओ मैनुअल (लागत पुनप्राप्ति प्रणाली सहित), ओएंडएम कार्यप्रणाली तथा सेवा-स्तरीय मानदंड परामर्शिकाओं में निर्दिष्ट भारत सरकार के लक्ष्यों में अनुरूप होने चाहिए। सड़क सफाई तथा कचरा प्रबंधन कार्य डीपीआर के भाग होंगे जो स्वच्छ शहर हेतु आवश्यक हैं ।

7.5 अपशिष्ट से ऊर्जा की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के क्रम में यह स्पष्ट किया गया है कि केन्द्र सरकार के अनुदान/वीजीएफ को भी ऐसी परियोजनाओं में प्रयुक्त किया जाए जो दी गई समयावधि के लिए विद्युत उत्पादन के लिए या तो अग्रणी या उत्पादन आधारित प्रोत्साहन के रूप में हो।

7.6 राज्य उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) यूएलबी द्वारा अनुशांसित परियोजनाओं के लिए डीपीआरकी तकनीकी तथा आर्थिक समीक्षा हेतु मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय प्रतिष्ठा संस्थानों को प्राधिकृत करेगा। शहरी विकास मंत्रालय (एमओयूडी) कोई मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन संस्थानों द्वारा डीपीआर मूल्यांकन की लागत प्रशासनिक लागतों के अंतर्गत स्वीकार्य घटक होगा, जो शहरी विकास मंत्रालय(एमओयूडी) द्वारा अनुमोदित शर्तों के अध्यधीन होगा।

7.7 इन चिन्हित तथा प्राधिकृत संस्थानों के मूल्यांकन का निष्पादन तथा गुणवत्ता का मूल्यांकन तथा निगरानी एचपीईसी के साथ-साथ एनएआरसी करेगा और जहां कहीं आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

7.8 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति डीपीआर के साथ-साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को अनुमोदित करेगी।

7.9 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति के निर्देशों के अनुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं का कार्यान्वयन होगा।

7.10 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं के लिए केन्द्र सरकार का प्रोत्साहन प्रत्येक परियोजना के लिए अधिकतम 20% अनुदान/वीजीएफ के रूप में होगा। शेष धनराशियां उपर्युक्त पैरा 2.6 में दिए गए अनुसार सृजित की जाएंगी।

7.10.1 एमएसडब्ल्यूएम के अंतर्गत परियोजनाओं पर विचार करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी अन्य स्कीम या कार्यक्रम के अंतर्गत वित्त-पोषण के संदर्भ में कोई दोहराव नहीं है।

7.10.2 डीपीआर का विस्तृत तकनीकी तथा वित्तीय मूल्यांकन पैराग्राफ 10.5.4 में निर्धारित प्रारूप में कार्यान्वित किया जाएगा। परियोजना के लिए ओ एंड एम व्यवस्थाएं डीपीआर में परियोजना का आवश्यक रूप से अनिवार्य अंग होगा।

7.10.3 राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति एसएमडब्ल्यू परियोजनाओं को स्वीकृति देगी जिसमें एमओयूडी का एक प्रतिनिधि शामिल होगा। समग्र परियोजना अनुमोदन तथा प्रापण प्रक्रिया में, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित सभी प्रावधानों तथा प्रक्रियाओं का समग्र रूप से पालन किया जाना चाहिए। केन्द्रीय धनराशियों को जारी करने के अतिरिक्त एमएसडब्ल्यू परियोजनाओं के लिए समग्र अनुमोदन प्रक्रिया राज्य स्तर पर पूरी की जाएगी।

7.10.4 राज्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) परियोजनाओं शौचालयों तथा सड़क सफाई के लिए प्रौद्योगिकी के चयन हेतु स्वतंत्र होंगे। समय-समय पर शहरी विकास मंत्रालय परामर्शिकाओं तथा मैनुअलों तथा अन्य परामर्शदात्री तंत्रों के माध्यम से इस क्षेत्र में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों से राज्यों को अवगत कराएगा।

7.10.5 राज्य 75 प्रतिशत के केन्द्रीय अंश के साथ ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत निधियों का अशंदान करेंगे । (पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत) ।

8. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक-V आईईसी एवं जन जागरूकता

8.1 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मुख्य कार्यनीति यह सुनिश्चत करने के लिए एक व्यवहार परिवर्तन सम्प्रेषण है कि स्वच्छता को बड़े पैमाने पर आम जनता के साथ मुख्यधारा में जोड़ने वाला मुद्दा बनाया जाय और इसमें खुले में शौच करने, हाथ से मैला ढोने की कुप्रथा को रोकने, स्वच्छता-व्यवहार, शौचालय सुविधाओं के उचित उपयोग और रख-रखाव (पारिवारिक, सामुदायिक अथवा अन्य) आदि और इससे संबंधित स्वास्थ्य और पर्यावरणीय परिणाम मुद्दे शामिल करने चाहिए । व्यवहार-परिवर्तन के लिए सम्प्रेषण सामग्री सूचना और प्रसारण मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ परामर्श करके तैयार की जाएगी और इसे स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत उपयोग की जा रही सामग्री के अनुरूप होना चाहिए।

8.2 इस घटक के लिए कुल केन्द्रीय आबंटन का कुल 15 प्रतिशत आबंटन निर्धारित किया जाएगा । इसमें से 12 प्रतिशत राज्यों को स्वच्छता पर व्यापक रूप से सार्वजनिक अभियान चलाने और इसके लिंक को रेडियो, सामाजिक मीडिया, वृत्त-चित्र, नाटक, कार्यशालाएं इत्यादि सहित विभिन्न माध्यमों के माध्यम से जन स्वास्थ्य, स्वच्छता और पर्यावरण से जोड़ने के लिए आबंटित किया जाएगा । शेष 3 प्रतिशत को शहरी विकास मंत्रालय के लिए राष्ट्रीय मीडिया अभियान चलाने और स्वच्छता संबंधी प्रभावकारी जागरूकता और सम्प्रेषण हेतु निश्चित किया जाएगा।

8.3 सामाचार पत्र और टेलीविजन पर होने वाले व्यय को इस घटक के तहत राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों के लिए स्वीकार्य मद नहीं है क्योंकि भारत सरकार के मंत्रालयों और संगठनों द्वारा इसकी व्यवस्था की जा रही है ।

8.4 राज्य जन जागरूकता हेतु राज्य वित्तपोषण वचनबद्धता के ब्यौरों के साथ वार्षिक कार्रवाई योजना और आईईसी तैयार करेंगे और राज्य स्तरीय उच्चाधिकार - प्राप्त समिति इसको अनुमोदन प्रदान करेगा । राज्य-स्तरीय उच्चाधिकार -प्राप्त समिति द्वारा यथा अनुमोदित प्रत्येक वार्षिक योजना में शहरी स्थानीय निकायों आईईसी कोष के कम से कम 50 प्रतिशत मूलभूत धनराशि स्तर की आईईसी गतिविधियों के लिए को दिया जाना चाहिए ।

8.5 राज्य स्तर पर उच्चाधिकार - प्राप्त समिति अनुमोदित प्लान के अंतर्गत राज्य-स्तरीय निधियों के उपयोग हेतु प्रशासनिक शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए सक्षम

प्राधिकरण होगा । अनुमोदित प्लान के अनुसार, यूएलबी शहरी स्थानीय निकाय-स्तरीय निधियों के न्यूनतम 50 प्रतिशत निधि के खर्च करने के लिए सक्षम होंगे ।

8.6 किसी भी हालत में वाहनों की खरीद, भवनों के निर्माण और रखरखाव, पदों के सृजन एवं वेतन भुगतान और फर्नीचर एवं फिक्सचर की खरीद के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

राज्य प्रत्येक वार्षिक योजना में 75 प्रतिशत के केन्द्रीय अंश के साथ आईईसी एवं जन जागरूकता हेतु न्यूनतम 25 प्रतिशत निधि का अशंदान करेंगे । (पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी के राज्यों के मामले में 10 प्रतिशत) ।

9. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) घटक VI : क्षमता निर्माण और प्रशासनिक एवं कार्यालय व्यय (ए एंड ओई)

9.1 मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कुल आबंटन का 3 प्रतिशत राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों के क्षमता निर्माण, प्रशासनिक और कार्यालय व्यय के लिए निश्चित किया जाएगा ।

9.2 मिशन के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कुल आबंटन का 2 प्रतिशत क्षमता निर्माण, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशालाएं आयोजित करने, विभिन्न पुरस्कारों और उत्तम-पद्धति मान्यता, कार्यक्रम अनुसंधान, अध्ययन, क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, एएंडओई एवं विभिन्न पात्र प्रयोजनों हेतु शहरी विकास मंत्रालय के एकीकृत वित्त प्रभाग (आईएफडी) के साथ परामर्श करके शहरी विकास मंत्रालय स्तर पर उपयोग किया जाएगा ।

9.3 राज्य मिशन मोड तरीके से कार्यान्वित की जाने वाली व्यापक क्षमता निर्माण गतिविधियों का प्रस्ताव करेंगे । जो समयबद्ध तरीके से स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के उद्देश्यों के उत्तरोत्तर प्राप्ति में सक्षम बनाएगा । इन्हें प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की गई व्यापक वार्षिक कार्य योजना में निर्दिष्ट किया जाएगा । इसे राज्य स्तरीय उच्चाधिकार - प्राप्त समिति द्वारा शहरी विकास मंत्रालय के सुझावों को साझा करने और विचार करने के बाद अनुमोदन प्रदान किया जाएगा । प्रत्येक वार्षिक योजना में राज्य स्तरीय उच्चाधिकार - प्राप्त समिति द्वारा यथा अनुमोदित शहरी स्थानीय निकायों को इस निधि के कम से कम 50 प्रतिशत यूएलबी स्तर पर गतिविधियों के लिए देना चाहिए ।

9.4 राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति इन निधियों के उपयोग हेतु प्राधिकृत करने और प्रशासनिक शक्तियों को सौंपने के लिए सक्षम प्राधिकरण होगा । अनुमोदित योजना के अनुसार शहरी स्थानीय निकाय उनको भेजी गई निधियों के न्यूनतम 50 प्रतिशत खर्च करने के लिए सक्षम होंगे ।

9.5 राज्यों को शहरी स्थानीय निकायों के अनुरूप अथवा एकीकृत क्षमता निर्माण गतिविधियों के लिए अन्य उपलब्ध क्षमता निर्माण निधियों का उपयोग करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा।

9.6 राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रासंगिक अधिकारियों (वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों और फील्ड स्तरीय कार्यकर्ताओं दोनों) को प्रशिक्षण और उनके लिए प्रशिक्षण कैलेन्डर तैयार करने हेतु पता लगाना चाहिए । यह राज्य मिशन निदेशक का उत्तरदायित्व होगा कि पता लगाए गए अधिकारियों को राज्य में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की सफलता सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण प्राप्त हो । इसके अतिरिक्त राज्यों को संगत अधिकारियों के लिए स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वच्छता संबंधी प्रशिक्षण चलाने के लिए सक्षम व्यक्तियों का ' मास्टर प्रशिक्षकों ' के रूप में पता लगाना चाहिए जो स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) पर केन्द्र सरकार के प्रशिक्षण में भाग ले सके और राज्यों में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के संदेश को प्रसारित करने के लिए आगे प्रशिक्षण आयोजित कर सके ।

9.7 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय स्तर पर मिशन का कार्यान्वयन करने हेतु सहायक संरचनाएं, मिशन प्रबंधन संरचना (स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) दिशानिर्देशों की धारा 11) में परिभाषित है अर्थात ; आउटसोर्स आधार पर लगे हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई (पीएमयू), शहर स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), और स्वतंत्र पुनरीक्षा एवं निगरानी एजेंसियों (आईपीआरएमए) आदि को इस शीर्ष के तहत वित्तपोषित किया जाएगा ।

9.8 किसी भी हालत में वाहनों की खरीद, भवनों के निर्माण और रखरखाव, पदों के सृजन एवं वेतन भुगतान और फर्नीचर एवं जुडनार की खरीद के लिए इस निधि का उपयोग नहीं किया जाएगा ।

9.9 राज्य प्रत्येक वार्षिक योजना में 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंश (पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी राज्यों की मामले में 10 प्रतिशत) के साथ क्षमता निर्माण और प्रशासनिक और कार्यालय व्यय (एएंडओई) के प्रति न्यूनतम 25 प्रतिशत निधि का अंशदान करेंगे ।

10.0 वित्तपोषण पद्धति और वित्तीय प्रक्रिया

10.1 वित्तपोषण पद्धति : मार्गदर्शक सिद्धांत :

(क) राज्यों को प्रथम किस्त राज्य स्वच्छता कार्यनीति की संक्षिप्त संकल्पना वाले प्रस्ताव की प्राप्ति और स्वीकृति पर जारी किया जाएगा जो **अनुलग्नक-IV** में दिया गया है ।

(ख) पारिवारिक शौचालयों हेतु प्रथम किस्त की धनराशि स्वच्छता योजना संकल्पना के अनुसार 2000 रू0 की केन्द्रीय सहायता दर से पता लगाए लाभार्थी परिवार की संख्या के अनुसार जारी किया जाएगा ।

(ग) सामुदायिक शौचालयों और ठोस कचरा प्रबंधन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त निधि ठोस कचरा प्रबंधन और सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं हेतु राज्य सरकार के प्रस्ताव पर जारी की जाएगी । यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोष राज्य सरकारों के पास न रखा रहे, अनुदान/वीजीएफ के भारत सरकार अंश राज्य स्तर पर अनुरक्षित पूल कोष से आहरित किया जा सकता है । इसको प्रगति के आधार पर राज्यों द्वारा की गई मांगों पर पूरा किया जाएगा ।

(घ) आईईसी हेतु क्षमता निर्माण और प्रशासनिक व्यय, उपर्युक्त (क) एवं (ख) के उचित प्रतिशत प्रथम किश्त में जोड़ा जाएगा ।

(ड.) राज्यों प्रत्येक वार्षिक योजना में 75 प्रतिशत केन्द्रीय अंश के साथ सभी घटकों के प्रति न्यूनतम 25 प्रतिशत निधि का अंशदान करेंगे पूर्वोत्तर राज्यों और विशेष श्रेणी राज्यों की मामले में यह 10 प्रतिशत होगी ।

(च) परवर्ती किश्तें राष्ट्रीय परामर्शदात्री और पुनरीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा यथा अनुमोदित और निर्णित पूर्व अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण-पत्र, वास्तविक और वित्तीय प्रगति एवं अन्य संकेतकों के आधार पर जारी किए जाएंगे ।

10.2 अनुदान बनाम व्यवहार्यता अन्तराल निधि (वीजीएफ) के बारे में स्पष्टीकरण

10.2.1 स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के अंतर्गत परियोजनाओं को शहरी अवस्थापना में निजी पूंजी आकर्षित करने और शहरी सेवाओं की प्रदायगी तथा प्रचालन और अनुरक्षण (ओ व एम) के संबंध में निजी क्षेत्र में कार्यकुशलता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह भी पता लगा है कि वर्तमान परिदृश्य में, व्यवहार्यता अन्तराल निधिकरण एक आवश्यकता हो सकती है। ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए, जैविक अपशिष्ट से कम्पोस्ट, निर्माण व डेमेलिशन अपशिष्ट से रिसाइक्लड निर्माण सामग्री, अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों तक बिजली जैसे राजस्व स्रोत बढ़ाए जा सकते हैं।

10.2.2 सभी शहरी स्थानीय निकायों को पहले उपर्युक्त कारणों के लिए पीपी मोड में परियोजनाओं को शुरू करने की सम्भाव्यता का पता लगाना चाहिए। निर्धारित निधिकरण पैटर्न के अनुसार भारत सरकार की निधियां व्यवहार्यता अन्तराल निधि के लिए उपलब्ध होंगी।

10.2.3 राज्य सरकारें परियोजनाओं को व्यवहार्य बनाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम 25% हिस्से से अधिक अतिरिक्त प्रोत्साहनों के रूप में शहरी स्थानीय निकायों के लिए निधियां बढ़ा अथवा सृजित भी कर सकती हैं

10.2.4 निजी साझीदार के साथ और राज्य सरकार द्वारा यथा अनुमोदित संविदीय व्यवस्था के अनुसार वीजीएफ अनुदानों की निमुर्क्ति की जाएगी । तथापि,यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निधियां राज्य सरकारों के पास इक्ट्ठी न होकर रह जाएं।

10.2.5 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन और सामुदायिक शौचालय परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव स्वीकार होने पर पर्याप्त निधियां जारी की जाएंगी। शहरी स्थानीय निकाय सामुदायिक शौचालयों और ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार परियोजना की तैयारी और बोली प्रक्रिया शुरू करेगें।

10.2.6 राज्य पीपीपी मोड पर शुरू की गई परियोजना की संविदीय अपेक्षाओं के अनुरूप अपने हिस्से के साथ वीजीएफ के केन्द्र सरकार के हिस्से को जारी करेंगे।

10.2.7 यदि राज्य सरकार यह अनुभव करती है कि कोई परियोजना पीपीपी तौर-तरीकों के अन्तर्गत शुरू करने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो वह तब भारत सरकार से शहरी स्थानीय निकाय को अनुदान के रूप में समझे जाने वाले भारत सरकार के हिस्से (निधिकरण पैटर्न के अनुसार) पर विचार कर सकती है। यह परियोजना के लिए शेष संसाधनों जिनको अनिवार्यत: किसी परियोजना को अनुमोदित करने के समय पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, के लिए व्यवस्था करना राज्य सरकार और शहरी स्थानीय निकाय का उत्तरदायित्व होगा।

10.2.8 पीपीपी परियोजनाओं के लिए, राज्य सरकारें अपनी नीति और नियमों का अनुपालन करें। भारत सरकार को कोई परियोजना नहीं भेजी जाएगी।

10.3 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों का आबंटन

10.3.1 इस मिशन को राज्यों को निधियों के निम्नलिखित वर्गीकरण से कार्यान्वित किया जाएगा :-

क्रम सं	**वर्गीकरण**	**प्रतिशतता आबंटन (केन्द्र सरकार का निधिकरण)**	**मिशन अवधि के लिए कुल धनराशि (करोड़ रूपए में)**
i.	मानकीय मानदंड पर आधारित परियोजना निधि	60%	8773.80
ii.	कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स पर आधारित कार्यनिष्पादन निधि	20%	2924.60
iii.	जन जगरूकता और सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण (आईईसी) कार्यकलाप	15%*	2193.45
iv.	क्षमता निर्माण और ए एण्ड ओ ई	3%	438.69
v.	अनुसंधान, क्षमता निर्माण और ए एण्ड ओ ई (शहरी विकास मंत्रालय)	2%	292.46

*जिसका 3% शहरी विकास मंत्रालय द्वारा रखा जाएगा।

10.3.2 उपर्युक्त 10.3.1(i) मे विनिर्दिष्ट **परियोजना निधि** को इस प्रकार आबंटित किया जाएगा :-

i. परियोजना निधि का संवितरण इस प्रकार होगा :-

(करोड़ रूपये में)

क.	पूर्वोत्तर को छोड़कर राज्यों को परियोजना निधियां	80%	7019.04
ख.	पूर्वोत्तर के लिए परियोजना निधियां	10%	877.38

ग.	फ्लैक्सी निधियां*	10%	877.38

*राज्यों को व्यय विभाग के दिनांक 06-01-2014 के कार्यालय ज्ञापन सं. 55(5)/पीएफ.II/2011 के अनुसार फलैक्सी निधियां उपलब्ध होंगी।

ii. जहां कहीं राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में विभाजित किए जाने हेतु निधि का आबंटन करना अपेक्षित हो, उसे निम्नवत किया जाएगा:

क) कुल शहरी जनसंख्या के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में शहरी जनसंख्या के अनुपात में 50% वेटेज, और

ख) कुल सांविधिक कस्बों के लिए प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सांविधिक कस्बों की संख्या के अनुपात में 50% वेटेज

दोनों अनुपात जनगणना, 2011 के आंकड़ों का उपयोग करेंगे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजना निधि के संवितरण का विवरण **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

10.3.3 उपर्युक्त 10.3.1(ii) में विनिर्दिष्ट **कार्यनिष्पादन अनुदान** को स्वच्छ भारत मिशन राष्ट्रीय मिशन निदेशालय के पास कार्य निष्पादन अनुदान के रूप में रखा जाएगा और अच्छा कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार जारी किया जाएगा। कार्य निष्पादन अनुदान की विमुक्ति निम्नलिखित परिणामों पर कार्य कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स और स्वतंत्र परियोजना समीक्षा और मानीटरिंग एजेन्सी (आईपीआरएमए) द्वारा तीसरे पक्ष के मूल्यांकन के आधार पर होगी।

क. खुले में मल-त्याग का उन्मूलन
ख. अस्वच्छ शौचालयों को पोर-फ्लश शौचालयों में बदलना
ग. हाथ से मैला ढोने का उन्मूलन
घ. जल स्त्रोतों के प्रदूषण की रोकथाम
ड़. सार्वजनिक स्थानों में सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करना
च. जागरूकता लाना
छ. क्षमता निर्माण

शहरी विकास मंत्रालय में राष्ट्रीय परामर्श और समीक्षा समिति (एनएआरसी) इन निधियों को जारी करने के अन्य उपर्युक्त मानदंड भी तैयार कर सकती है और यह की गई प्रगति और प्रत्येक राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस अनुदान को जारी

करने के संबंध में अन्तिम निर्णय लेगी। यह पहली किस्त में लागू नहीं होगा। राज्यों को पहली किस्त जारी करते समय 20% निधियों को रोककर नहीं रखा जाएगा।

10.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को निधियों का संवितरण

10.4.1 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र **अनुलग्नक-IV** में दिए गए प्रपत्र में राज्य शहरी सफाई कार्यनीति पर एक संकल्पना नोट सहित अनुमानों और अधिप्रमाणित लक्ष्यों के आधार पर केन्द्र सरकार को अनुदान जारी करने का एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।इसे स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को आनलाइन प्रस्तुत किया जाएगा।

10.4.2 मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकार्यता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित ढंग से निधियों की पहली किस्त संवितरित की जाएगी :-

i. पैरा 10.3.2 पर उल्लिखित सूत्र के अनुसार राज्यों में 50% परियोजना निधि को विभाजित किया जाएगा (अनुलग्नक-III भी देंखे)
ii. उपर्युक्त जारी की जाने वाली 12% परियोजना निधियों को सूचना शिक्षा व सम्प्रेषण और जन जागरूकता संघटक के रूप में जारी किया जाएगा, और
iii. उपर्युक्त जारी की जाने वाली 3% परियोजना निधियों को क्षमता निर्माण और ए एण्ड ओ ई निधियों के लिए जारी किया जाएगा।
iv. राज्यों को पहली किस्त जारी करते समय कार्यनिष्पादन अनुदान के लिए 20% निधियों को नहीं रोका जाएगा।

10.4.3 बाद की किस्तों (क्षमता निर्माण तथा सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण एवं जन जागरूकता तथा ए एण्ड ओ ई समेत) को निम्नलिखित के आधार पर जारी किया जाएगा :-

(i) पहली किस्त के रूप में जारी की गई 75% निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रस्तुतीकरण, और
(ii) एनएआरसी मानदंड के अनुसार संतोषजनक वास्तविक और वित्तीय प्रगति।

बाद की किस्तों की मात्रा स्वच्छ भारत मिशन के निधिकरण के पैटर्न के अनुसार स्वीकार्य संघटकों के लिए वास्तविक मांगों और व्यय के अनुमानों के आधार पर होगी।

10.4.4 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा परियाजनाओं के लिए अनुदानों/वीजीएफ के लिए केन्द्रीय अंशदान को उपर्युक्त पैरा 10.1 और 10.2 में वर्णित ढंग से जारी किया जाएगा।

10.4.5 एनएआरसी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही के अंत में इस मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आबंटित निधियों के उपयोग की समीक्षा करेगी और एनएआरसी कार्य-निष्पादन नहीं करने वाले राज्यों से अच्छा कार्य निष्पादन करने

वाले राज्यों को किसी निर्धारित वित्तीय वर्ष में निधियों के उपयोग करने की क्षमता के आधार पर निधियों का पुनर्आबंटन कर सकती है।

10.4.6 राज्य सरकारें शहरी स्थानीय निकायों को शहरी विकास मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय हिस्से को जारी करने के 30 दिनों के भीतर राज्य के हिस्से सहित निधियों को जारी करने के लिए एक उपर्युक्त तंत्र तैयार करेंगी। शहरी स्थानीय निकायों को 30 दिनों से परे निधियों को जारी करने में हुए किसी विलम्ब हेतु वित्त मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट दर पर ब्याज लगाया जाएगा। इसको इस मिशन के अंतर्गत राज्य की निधि जारी करने की अगली किस्त से समुचित कटौतियां करके कार्यान्वित किया जाएगा।

10.5 परियोजनाओ की मंजूरी (विस्तृत परियोजना रिपोर्टें)

10.5.1 राज्य सरकार (एचपीईसी) अथवा शहरी स्थानीय निकाय इन दिशा-निर्देशों में विनिर्धारित निर्देशों के अनुसार परियोजनाएं स्वीकृत करेगीं। इसे इन दिशा-निर्देशों में स्वच्छ भारत मिशन के प्रत्येक संघटक के लिए विनिर्दिष्ट किया जाता है।

10.5.2 इस मिशन के अंतर्गत केवल नई परियोजनाओं पर विचार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें कोई द्विवरावृति न हो। यदि इन परियोजनाओं को पहले स्वीकृत नहीं किया गया है और ये राज्य और केन्द्रीय स्कीमों तथा विदेशी सहायता-प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत नहीं चल रही हैं, इन परियोजनाओं को "नई" परियोजनाओं के रूप में माना जाएगा।

10.5.3 जहां कहीं विस्तृत परियोजना रिर्पोटों (डीपीआर) को परियोजना स्वीकृति, निधि विमुक्ति और मानीटरिंग के लिए तैयार किया जाना है, इस मिशन के अंतर्गत परियोजनाओं के लिए डीपीआर लागत की एनएआरसी द्वारा बनाए गए मानदंडों के अधीन प्रतिपूर्ति की जाएगी।

10.5.4 राज्य उच्च अधिकार-प्राप्त समिति (एचपीसी) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा संस्तुत परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिर्पोटों के तकनीकी और आर्थिक मूल्यांकन के लिए डीपीआर के मूल्यांकन हेतु राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थानों को अधिकृत करेगी। इन संस्थानों द्वारा डीपीआर मूल्यांकन की लागत शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यथा अनुमोदित मानदंडों के अधीन प्रशासनिक लागतों के तहत एक स्वीकार्य संघटक होगी।

11. स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) की मिशन प्रबन्धन अवसंरचना

शहरों के तीन-श्रेणीय मिशन प्रबन्धन अवसंरचना होगी जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

11.1 राष्ट्रीय स्तर

11.1.1 शहरी विकास मंत्रालय द्वारा सचिव, शहरी विकास मंत्रालय की अध्यक्षता में एक **राष्ट्रीय परामर्श और समीक्षा समिति (एनएआरसी)** अधिसूचित की जाएगी जिसमें संगत प्रकार के मंत्रालयों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एनएआरसी आवश्यकता के अनुसार बैठक करेगी, परन्तु यह तीन महीनों में कम से कम एक बार बैठक करेगी। एनएआरसी के कार्य इस प्रकार होंगे :-

i. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) की समग्र मानीटरिंग और पर्यवेक्षण

ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वच्छता परियोजनाओं में पीपीपी के लिए निजी वित्त-पोषण के नवीन संसाधन जुटाने और भूमि लेने के रास्तों का पता लगाने के लिए परामर्श देना।

iii. केन्द्र सरकार द्वारा इस मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए किस्तों का अनुमोदन करना तथा निधियों की किस्तों को जारी करना।

iv. पैरा 10.3.3 में यथा विनिर्दिष्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कार्यनिष्पादन मैट्रिक्स । कार्यनिष्पादन अनुदान जारी करने के लिए मानदंड तैयार करना और उनको संशोधित करना।

v. स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं के परिणामों और कार्यनिष्पादन को मानीटर करना।

vi. एनएआरसी, जैसा उचित समझे, इस मिशन के तीव्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के राष्ट्रीय मिशन निदेशक (एनएमडी), राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को कुछेक कार्यों को निर्धारित सीमाओं के भीतर प्रत्यायोजित कर सकती है।

vii. कोई अन्य मुद्दा जिसे सरकार द्वारा इसे भेजा जाए।

11.1.2 **स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय** की अध्यक्षता एक राष्ट्रीय मिशन निदेशक (एनएमडी) करेगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव के पद से कम का नहीं होगा।

i. राष्ट्रीय मिशन निदेशक स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) से संबंधित सभी कार्यकलापों का समग्र प्रभारी होगा। राष्ट्रीय मिशन निदेशक की सहायता राष्ट्रीय मिशन निदेशालय में अधिकारियों का एक उपयुक्त दल करेगा और सभी मामलों के लिए एनएआरसी का सदस्य-सचिव होगा।

ii. इस मिशन निदेशालय की सहायता एक समर्पित परियोजना प्रबंधन एकक (पीएमयू) करेगा जिसमें 10-12 विशेषज्ञ होंगे और सहायक स्टाफ मुख्यतया आडटसोर्स आधार पर लिया जाएगा। इस पीएमयू 4 में शीर्ष कार्यक्रम – कार्यक्रम प्रबन्धन, सूचना, शिक्षा और सम्प्रेषण (आईईसी) तथा मीडिया, सूचना प्रौद्योगिकी और मानीटरिंग एवं मूल्यांकन शामिल होंगे ।

iii. स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय राज्य मिशन निदेशालयों के लिए सहायक अवसंरचना के लिए एक ढांचा तैयार करेगा और राज्यों को समय-समय पर समुचित दिशा-निर्देश/परामर्शिकाएं जारी करेगा।

11.2 **राज्य स्तरीय**

11.2.1 राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी), जिसमें संबंधित विभागों से सदस्यों (शहरी विकास मंत्रालय के एक प्रतिनिधि 5सहित) को शामिल किया जाएगा, राज्य/संघ शासित क्षेत्र स्तर पर स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होगी। एसएलएमआरसी के कार्यों में निम्न शामिल होंगे :-

i) संबंधित राज्य के लिए राज्य स्वच्छता कार्य-नीति (एसएसएस) एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अन्तर्गत शामिल सभी शहरों के लिए नगर स्वच्छता योजना (एसबीएम) की तैयारी, अनुमोदन एवं ऑन लाईन प्रकाशन यदि पहले नहीं किया गया है।

ii) स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय को प्रस्तुत करने से पूर्व शहरी स्वच्छता स्थिति पर संकल्पना नोट को अन्तिम रूप देना।

iii) प्रतिष्ठित और अनुभवी परामर्शदाताओं को निम्न हेतु सूचीबद्ध करना :-

क) एसबीएम के अन्तर्गत डीपीआर तैयार करने।

ख) परियोजना के निष्पादन के दौरान स्वतंत्र समीक्षा एवं निगरानी करने।

iv) डीपीआर के मूल्यांकन के लिए आईआईटी, एनआईटी, राज्य तकनीकी महाविद्यालयों इत्यादि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को सूचीबद्ध करना।

v) शहरी स्थानीय निकायों द्वारा अनुशंसित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं की स्वीकृति।

vi) अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए योजना।

vii) अल्प, मध्यम एवं दीर्घावधि में निधि के प्रवाह के लिए योजना।

viii) मिशन के अन्तर्गत परियोजनाओं के लिए निधियों की किस्ते जारी करने हेतु प्रस्तावों की सिफारिश करना।

ix) मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत और पूर्ण परियोजनाओं के परिणाम एवं ओएंडएम व्यवस्थाओं की निगरानी करना।

x) मिशन के अन्तर्गत क्षमता निर्माण आईईसी, एवं जन जागरूकता गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा तथा उनकी वार्षिक कार्य योजना कर अनुमोदन।

xi) मानदण्डों एवं शर्तों के उल्लघंन संबंधी मामलों को देखना।

xii) राज्य में स्वच्छता के लिए कार्रवाई सुनिश्चिय करना तथा जब भी आवश्यकता हो प्रयोजन के लिए अन्तर विभागीय समन्वय स्थापित करना।

xiii) जारी निधियों की समय पर लेखा परीक्षा सुनिश्चित करना एवं मिशन की विभिन्न लेखा परीक्षित रिर्पोटों तथा अन्य इसी प्रकार की रिर्पोटों पर "की गई कार्रवाई रिर्पोटों" की समीक्षा करना।

xiv) विधिक मामले यदि हो, की समीक्षा करना।

xv) मिशन और एसबीएम राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा उसे भेजे गए मामलों के कुशल कार्यान्वयन के लिए संबंधित अन्य कोई मामला शुरू करना।

11.2.2 राज्य/संघ शसित प्रदेशों में शहरी विकास विभाग यूडीडी में एसबीएम राज्य मिशन निदेशालय स्थापित किया जाएगा।

i) **स्वच्छ भारत मिशन राज्य मिशन निदेशालय** उपयुक्त वरिष्ठता वाले राज्य मिशन निदेशक (एसएमडी) के अधीन कार्य करेगा। राज्य मिशन निदेशक राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति में सदस्य-सचिव के रूप में भी कार्य करेगा।

ii) राज्य मिशन निदेशक यूएलबी स्तर पर मिशन के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की आयोजना, डिज़ाइनिंग, परियोजना की तैयारी, मूल्यांकन, स्वीकृति और कार्यान्वयन के लिए राज्य भर में समान ढांचे का निर्माण/अधिसूचित करेगा। राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा समय-समय पर जारी परामार्शिकाओं को ध्यान में रखकर यह कार्य किया जाएगा।

iii) मिशन निदेशालय को आऊटसोर्स आधार पर एक समर्पित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी।

11.3 **शहरी स्थानीय निकाय स्तरीय**

स्वच्छ भारत मिशन पर देश भर में, स्वास्थ्य, अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता सुनिश्चिय करने के लिए जन आन्दोलन के रूप में विचार किया गया है। इसलिए यह आवश्यक है कि इसके कार्यान्वयन में शहरी स्थानीय निकाय वार्ड समीतियों, क्षेत्र सभाओं, रेजिडेन्ट वेल्फेयर एसोसिएशनों, गैर सरकारी संगठनों एवं सिविल सोसाईटी समूहों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।

12. निगरानी एवं मूल्यांकन (एमएवंई)

12.1 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में निर्धारित प्रारूपों में मासिक प्रगति रिर्पोटें (एमपीआर)/तिमाही प्रगति रिर्पोटें (क्यूपीआर) भेजना अपेक्षित है। इनके अलावा, मिशन निदेशालय समय-समय पर अन्य रिर्पोटों को निर्धारित कर सकता है जिन्हे वह उपयुक्त समझे। मिशन के अन्तर्गत लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के लिए व्यापक एवं दुरूस्त आईटी युक्त प्रबंधन सूचना प्रणाली की स्थापना की जाएगी। इस प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रचालन शुरू हो जाने के बाद राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अपनी प्रगति रिर्पोटें ऑन लाईन प्रस्तुत करनी होगी।

12.2 निगरानी गतिविधियों में तृतीय पार्टी मुल्यांकन, प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आदि सम्मिलित होंगे लेकिन उनको सीमित नहीं किया जाएगा। इसके कार्यान्वयन के दौरान मिशन का मूल्यांकन शुरू किया जाएगा ताकि मध्यावाधिक सुधार किए जा सकें तथा मिशन अपने लक्ष्य प्राप्त कर सके।

12.3 **एक जिला स्तरीय पुनरीक्षण एवं निगरानी समिति (डीएलआरएमसी)** गठित की जाएगी ताकि संसद के सदस्य की अध्यक्षता में परियोजनाओं की संतोषजनक निगरानी सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजन हेतु स्वच्छ भारत मिशन, राष्ट्रीय मिशन निदेशालय द्वारा अलग से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जाएगें।

13. प्रतीक चिह्न एवं टेग लाईन

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के लिए प्रतीक चिह्न एवं टेग लाईन **अनुलग्नक V** में दिये गये हैं। इसे मिशन के अन्तर्गत सभी परियोजनाओं एवं साहित्य/ प्रकाशनों पर विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

अनुलग्नक-I : स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत लक्ष्य एवं परिभाषाएं

(आवास एवं पारिवारिक श्रृंखला तालिकाएं, भारत की जनगणना 2011 द्वारा तैयार परिभाषाएं)

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत लक्ष्य स्वच्छ भारत मिशन के लिए निम्नलिखित कार्रवाईयां की जाएंगी :-

क्र.सं	**उद्देश्य**	**स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (लक्ष्यों)के तहत कार्रवाईयां**	**जनगणना 2011 परिभाषा**
i.	खुले में शौच की प्रथा को समाप्त करना	• खुले में शौच करने वाले 80 प्रतिशत शहरी परिवारों के लिए पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ।	परिसर के भीतर कोई शौचालय सुविधा नहीं है- खुला
ii.		• खुले में शौच करने वाले 20 प्रतिशत शहरी परिवारों के लिए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।	परिसर के भीतर कोई शौचालय सुविधा नहीं है- खुला
iii.		• अस्थायी जनसंख्या के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण (कुल शहरी जनसंख्या	कुल शहरी जनसंख्या

क्र.सं	उद्देश्य	स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) (लक्ष्यों)के तहत कार्रवाईयां	जनगणना 2011 परिभाषा
		की अनुमानित 5 प्रतिशत)	
iv.	अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करना	• अस्वच्छ शौचालयों वाले 100 प्रतिशत शहरी परिवारों के लिए पारिवारिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है ।	• खुले में अवशिष्ट का निपटान • मनुष्यों द्वारा सेवा शौचालयों से रात को बाहर निकाले गए अपशिष्ट का निपटान • पशुओं द्वारा सेवा शौचालयों से रात को बाहर निकाले गए अपशिष्ट का निपटान
v.	एकल पिट शौचालयों को परिवर्तित करना	• 60 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास पिट शौचालयों की उपलब्धता	• स्लैब सहित पिट शौचालय • हवादार बेहतर पिट सहित पिट शौचालय • स्लैब/खुले पिट रहित पिट शौचालय
vi.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	स्वच्छ भारत मिशन सेवाओं के तहत 80 प्रतिशत शहरी जनंसख्या शामिल होगी (जिसमें प्रतिवर्ष 20 प्रतिशत की वृद्धि की जा सकती है) ।	• कुल शहरी जनसंख्या

जनगणना 2011 के अंतर्गत- शौचालयों के प्रकारों की परिभाषा

भारत की जनगणना 2011 के अनुसार शौचालय सुविधाओं के निम्नलिखित विभिन्न प्रकारों का सर्वेक्षण किया गया :

1. पाइप सीवर प्रणाली से जुडे फ्लश /पोर फ्लश शौचालय : यदि पोर फ्लश शौचालय पाइप सीवर प्रणाली से जुडा हो जिसके द्वारा मानव मल-मूत्र एवं गंदा पानी एकत्र करके घरेलू वातावरण से हटाया जाता हो ।

2. सैप्टिक टैंक से जुडे फ्लश/पोर फ्लश शौचालय: यदि पोर फ्लश शौचालय सैप्टिक टैंक से जुडा हो जिसके द्वारा मानव मल-मूत्र एवं गंदे पानी को घरेलू वातावरण से हटाया जाता हो ।

3. अन्य प्रणालियों से जुडे फ्लश /पोर फ्लश शौचालय : यदि पोर फ्लश शौचालय पाइप सीवर प्रणाली या सैप्टिक टैंक के बजाय किसी अन्य प्रणाली से जुडे हों, जैसे मानव मल-मूत्र एवं गंदे पानी का गलियों, अहाते/भूमि, निकासी गड्डे या अन्य किसी स्थान पर निपटान ।

4. पिट शौचालय*: भूमि में खोदे गए फ्लश रहित पिट में सीधे ही रात को बाहर निकाले गए मल-मूत्र का निपटान ।

   क. स्लैब सहित पिट शौचालय: बैठने के लिए स्लैब या प्लेटफॉर्म अथवा चारों ओर मजबूती से घिरा एक पिट शौचालय जो अपने आस-पास के भूतल से उंचा उठाया गया हो ताकि पिट में सतही पानी प्रवेश न कर सके और उसकी सफाई आसानी से हो सके ।

   ख. हवादार उन्नत पिट सहित पिट शौचालय: स्लैब सहित पिट शौचालय जिसमें शौचालय की छत से पाइप द्वारा हवा की आवाजाही के लिए व्यवस्था हो तथा इस निकास नली का खुला भाग किसी जाली अथवा फ्लाई प्रूफ जाल से ढका हो ।

   ग. स्लैब रहित पिट शौचालय/खुला पिट: बैठने के स्लैब/प्लेटफार्म या सीट रहित शौचालय ।

* शौचालय 2011 में एकल पिट एवं दोहने पिट शौचालयों में कोई अंतर नहीं है । यद्यपि स्वच्द भारत मिशन में एकल पिट शौचालयों को अस्वच्छ माना गया है, जिन्हें परिवर्तित कर दिया जाएगा । दोहरे पिट शौचालय की परिभाषा के लिए अनुलगनक-।। देखें ।

5. रात को बाहर निकाले गए अपशिष्ट का खुली नाली में निपटान : ऐसा स्थान जहां शौचालय सुविधा विद्यमान हो सकती है, किन्तु मल-मूत्र और गंदे पानी का सीधे ही खुली नाली में निपटान किया जाता है ।

6. सेवा शौचालय : ऐसा स्थान जहां मानव मल-मूत्र का एकत्रीकरण बाल्टी या अन्य किसी पात्र अथवा यहां तक कि खुले में भी किया जाता है ।

क. रात को बाहर निकाले गए अपशिष्ट का मानवों द्वारा निपटान : ऐसा स्थान जहां मानव मल-मूत्र स्वयं मानवों द्वारा हटाया जाए ।

ख. रात को बाहर निकाले गए अपशिष्ट का पशुओं द्वारा निपटान : ऐसा स्थान जहां मानव मल-मूत्र का निपटान पशुओं द्वारा किया जाए ।

7. परिसर के भीतर शौचालय सुविधा की अनुपलब्धता –सार्वजनिक शौचालय : निवासीय इकाई में परिसर के भीतर परिवारों के लिए शौचालय की अनुपलब्धता जहां परिवारों द्वारा उपलब्ध सार्वजनिक शौचालय का प्रयोग किया जाए ।

8. परिसर के भीतर शौचालय सुविधा की अनुपलब्धता-खुला : निवासीय इकाई के परिसर में परिवारों के उपयोग के लिए शौचालय की अनुपलब्धता और जहां खुले क्षेत्रों जैसे खेतों, झाड़ियों, नदियों, झरनों, रेलवे ट्रैक पर शौच की जाती हो ।

9. अस्वच्छ शौचालयों से तात्पर्य ऐसे शौचालयों से है जहां मानव मल मूत्र की सफाई अपेक्षित है, अन्यथा हाथ से उसी स्थान पर या खुली नाली अथवा पिट में पूर्णत: अपघटित होने से पूर्व मानव मल-मूत्र का इस प्रकार निपटान अथवा हटाया जाता हो जैसा कि विहित है (अध्याय -1 भाग 2(i) (ड.) रोजगार के लिए हाथ से कूड़ा बीनने वालों पर रोक एवं उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013)

भारत की जनगणना, 2011 में दो व्यापक प्रकार के शहरी क्षेत्रों को परिभाषित किया गया है ।

I. **सांविधिक कस्बे :** प्रशासनिक इकाईयों द्वारा परिभाषित शहरी क्षेत्र हैं जिन्हें नगर निगमों, नगर पालिकाओं, छावनी बोर्डों, अधिसूचित कस्बा क्षेत्र समितियों, कस्बा, पंचायतों, अथवा नगर पालिकाओं जैसे शहरी दर्जे द्वारा परिभाषित किया गया है ; और

II. **जनगणना कस्बे ;** सभी प्रशासनिक इकाईयां जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा कर रही है ; (I) इसमें न्यूनतम 5000 व्यक्तियों की आबादी होनी चाहिए; (II) पुरूष प्रमुख कामकाजी आबादी का कम से कम 75 प्रतिशत गैर-कृषि गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए; और (III) इसमें कम से कम 400 व्यक्ति प्रति कि0मी0 ^{2} (1000 प्रति मील ^{2}) आबादी की घनत्व होना चाहिए ।

अनुलग्नक II: स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत शौचालयों के लिए तकनीकी विकल्प (शहरी)

इस नोट में शौचालयों के तकनीकी विकल्पों को स्पष्ट किया गया है जिनकी स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी के अंतर्गत सिफ़ारिश की जाती है।

साइट- पर स्वच्छता (ओएसएस) बनाम भूमिगत सीवरेज

जहाँ भी प्रस्तावित अलग-अलग परिवार, समुदाय या सार्वजनिक शौचालयों से **30** मीटर के भीतर सीवरेज प्रणाली उपलब्ध है, वहाँ पर एसबीएम के अंतर्गत केवल अधिसंचरना (अर्थात शौचालयों) का निर्माण किया जा सकता है और उसका मौजूदा सीवरेज प्रणाली से जोड़ा जा सकता है। जुड़वां गड्ढ़े, सेप्टिक टैंक, जैव-पाचक या जैव टैंक जैसी शोधन इकाइयों के निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ओएसएस प्रणाली की विशेषताएं

जब सीवेज को उत्पन्न होने वाले स्थान पर अथवा इसके निकट, भूमिगत सीवरेज प्रणाली के उपयोग के बिना, संग्रह, उपचार और/अथवा निपटारा किया जाता है, तो इस प्रणाली को "साइट पर स्वच्छता" (ओएसएस) प्रणाली कहा जाता है। ओएसएस प्रणालियां अलग-अलग घरों, समुदाय और अस्थायी आबादी के उपयोग के लिए प्रदान की गई स्वच्छता सुविधाएं हैं। कई स्थितियां हैं जब कोई भूमिगत सीवरेज प्रणाली व्यवसाय उपयुक्त या वांछनीय नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए, छोटे शहरों के लिए जहां सीवरेज के बुनियादी ढांचे का निर्माण महंगा हो अथवा वे शहर जो पहाड़ी क्षेत्रों अथवा बाढ़ वाले इलाके में हों जहां सीवर नेटवर्क का निर्माण करना व्यावहारिक नहीं हो अथवा कई शहरों में भी जो व्यवस्थित रूप से विकसित नहीं हुए है और जहां सभी घर मौजूदा सीवरेज नेटवर्क से नहीं जुड़े हैं ।

ओएसएस प्रणालियों में दो मुख्य संरचनाएँ, शौचालय (पैन और पानी शौच-गृह सहित अधिसंचरना) और शोधन इकाई होते हैं। ओएसएस शौचालय के आस-पास के क्षेत्र में अपशिष्ट को या तो एक गड्ढे, टैंक या तहखाने में रखा जाता है। शोधन प्रणाली की रेंज बुनियादी स्वच्छता सुविधा जैसे जुड़वां गड्ढे वाले शौचालयों से सेप्टिक टैंक और एक सोख गड्ढे अथवा एक जैव-पाचक शौचालय (वातपेक्षी(एरोबिक) और वातनिरपेक्ष(एनएरोबिक) के संयोजन तक है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) शहरी के अंतर्गत ओएसएस के लिए निम्नलिखित प्रौद्योगिकीय विकल्पों की सिफारिश की जाती है।
अलग-अलग पारिवारिक शौचालय / पारिवारिक शौचालयों, सामूहिक/ साझा शौचालय और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण

क्रम सं.	ओएसएस विकल्प	शौचालयों के प्रकार				अनुप्रयोग
		अलग-अलग पारिवारिक शौचालय	साझा शौचालय	सामुदायिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	
1.	**दो गड्ढे वाले शौचालय/ लीच गड्ढे**	✓				• निम्न से माध्यम घनत्व वाले क्षेत्रों में विषेशरूप से बाह्य-शहरी क्षेत्र जहां गड्ढे बनाने के लिए स्थान हो और जहां पच मल को खाद और मिट्टी अनुकूलन (कंडीशनर) के रूप में स्थानीय खेतों और/अथवा बगीचों में प्रयोग में लाया जा सकता है। • जहां मिट्टी या भूजल स्तर की विशेषताओं के आधार पर प्रति दिन प्रति व्यक्ति 30-50 लीटर जल उपयोग में लाया जाता है।
2.	**सोखने वाले गड्ढे वाली सेप्टिक टेंक प्रणाली**	✓	✓	✓	✓	• अलग-अलग घरों, पारिवारिक समूहों या संस्थागत भवनों, जहां सीवरेज नेटवर्क नहीं है, के गंदे पानी का आंशिक उपचार करने के लिए सेप्टिक टैंकों का व्यापक रूप से प्रयोग किया किया जाता है। • सोख गड्ढे काम कर सकें इसके लिए मिट्टी की स्थिति ऐसी हो जो सेप्टिक टैंकों से रिसने वाले गंदे पानी के प्रवाह के लिए उपयुक्त हो।
3.	**जैव पाचक शौचालय (वातनिरपेक्ष-डीआरडीओ द्वारा विकसित)**	✓	✓	✓	✓	• अलग-अलग घरों, पारिवारिक समूहों या संस्थागत भवनों, जहां सीवरेज नेटवर्क नहीं है, के गंदे पानी का **80%** शोधन करने के लिए व्यापक रूप से

क्रम सं.	ओएसएस विकल्प	शौचालयों के प्रकार				अनुप्रयोग
		अलग-अलग पारिवारिक शौचालय	साझा शौचालय	सामुदायिक शौचालय	सार्वजनिक शौचालय	
						प्रयोग किया जाता है। • गंदे पानी को छोडने से पहले उसे रीड तल अथवा सोख गड्ढे से गुज़ारना चाहिए। • सोख गड्ढे काम कर सकें, इसके लिए मिट्टी की स्थिति ऐसी हो जो सेप्टिक टैंकों से रिसने वाले पानी के प्रवाह के लिए उपयुक्त हो।
4.	**वातपेक्षी जैव पाचक शौचालय**	✓	✓	✓	✓	• अलग-अलग घरों, पारिवारिक समूहों या संस्थागत भवनों, जहां सीवरेज नेटवर्क नहीं है, के गंदे पानी का 100% शोधन करने के लिए व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। गंदे पानी को सीधे ही छोड़ा जा सकता है क्योंकि यह पूरी तरह सुरक्षित होता है; • जल के शोधन के पश्चात कलोरीनीकरण किया जाता है।

स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) (शहरी)के अंतर्गत तकनीकी विशेषताएं और विनिर्देशन

शौचालयों की तकनीकी विशेषताओं और विनिर्देशनों के विवरण नीचे नीचे दिए गए हैं। इस समय प्रचलित लागत केवल अनुमान है और प्रौद्योगिकी के चयन और संस्थापना के समय इसे सत्यापित किया जाना चाहिए।

<u>I.जुड़वां-गड्ढा शौचालय</u>

विवरण	इसमें अधिसंरचना(शौचालय) और शोधन इकाई (दो कक्ष) होते हैं। मल कीचड़ रखनेके लिए

	दो भूमिगत कक्ष (गड्ढे) उपलब्ध कराये जाते हैं। । ये आम तौर पर शौचालय से भरपाई करते हैं और ये कम से कम एक मीटर दूर होने चाहिएं। शौचालय से एक एकल पाइप छोटे से मोड़ कक्ष में जाती है जिससे दो भूमिगत कक्षों के लिए अलग-अलग पाइप जाते हैं। गड्ढों को खुली-संयुक्त ईट की चिनाई से लाइन में रखा जाना चाहिए। प्रत्येक गड्ढे को इस तरह तैयार किया जाना चाहिए कि इसमें कम से कम 12 महीने के लिए मल कीचड़ का संचय किया जा सके। अपशिष्ट जल को तब तक एक कक्ष में छोड़ा जाता है, जब तक यह मल कीचड़ से भर नहीं जाता। तब इसे दूसरे कक्ष में छोड़ा जाता है। दूसरे कक्ष के मल कीचड़ से भरने से पहले ही पहले गड्ढे की सामग्री को बाहर निकाल दिया जाता है। भंडारण के समय के दौरान, पाचन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह गंध रहित और रोगज़नक़ों से मुक्त हो।
प्रचालन एवं अनुरक्षण(ओ एवं एम) संबंधी आवश्यकताएँ	गड्ढों को बारी-बारी से इस्तेमाल किया जाना चाहिए और वे मोड़ चैम्बर में खुलने चाहिए ताकि ताकि प्रवाह को चैम्बरों के बीच मोड़ा जा सके। जब तक पहले चैंबर से माल कीचड़ को नहीं हटा दिया जाता तब तक अपशिष्ट जल को वापस इसमें नहीं डालना चाहिए। जुड़वां-गड्ढे वाले शौचालय के ओ एंड एम की जिम्मेदारी मुख्य रूप से गृहस्वामी की होती है जिसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत होती है कि गड्ढों का उपयोग सही क्रम में किया जाए और इन्हें उचित समय पर खाली किया जाए। तथापि, इन्हें खाली करने और उपचार संयंत्र में इनका सुरक्षित निपटान सुनिश्चित करने के लिए यूएलबी यूटिलिटी या निजी ठेकेदारों की आवश्यकता होती हैं।
अतिरिक्त अवसंरचनाएँ / शोधन आवश्यकताएँ	यदि पाच सामग्री को स्थानीय खेतों अथवा बागों में उपयोग में नहीं लाया जा सकता है तो कृषि भूमि में पुनः उपयोग के लिए शहर के बाहरी क्षेत्रों के लिए ले जाने की व्यवस्था करनी होगी।
सीमाएं	• यह भी हो सकता है कि परिवारों को यह प्रणाली समझ में नहीं आए और इसके फलस्वरूप वे बारी-बारी से गड्ढों का उपयोग नहीं कर सकें अथवा कम से कम एक वर्ष के लिए भरे गड्ढे को ऐसे ही रहने दें ताकि यह सड़ जाए और हानिरहित हो जाए। • अत: संस्थापना के समय प्रचालन और रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं का स्पष्टीकरण अनिवार्य है। • भू-तल गड्ढे के आसपास की मिट्टी के माध्यम से पानी रिस सकता है और भूजल को प्रदूषित कर सकता है, जो एक संभावित समस्या है यदि जल का उपयोग पीने के पानी के लिए किया जाता है।

<table>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>विनिर्देशन</td><td>

(क) शौशौचालय / अधिसंरचना के लिए आकार का विकल्प(जैसा आकृति 1 में दिखाया गया है):

(क) 750 मिमी x 900 मिमी x 1900मिमी;अथवा

(ख) 1000 मिमी x 1900 मिमी x 800 मिमी

(ख) **सामग्री** - ईंट कार्य (चित्र-1 के अनुसार) / एफ आर पी / पहले डाली गई बेलनाकार इकाई

(ग) **न्यूनतम भूमि आवश्यकता** - 40 वर्ग फुट -। 60 वर्ग फुट (अधिसंरचनाके स्थान और दो गड्ढों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है)

(घ) गड्ढों के आकार को नीचे तालिका-1 में दिखाया गया है -

<table>
<tr><td></td><td colspan="2">5 उपयोगकर्ताओं के लिए *</td><td colspan="2">10 उपयोगकर्ताओं के लिए**</td><td colspan="2">15 उपयोगकर्ताओं के लिए ***</td></tr>
<tr><td></td><td>व्यास</td><td>गहराई (क)</td><td>व्यास</td><td>गहराई (क)</td><td>व्यास</td><td>गहराई (क)</td></tr>
<tr><td>गड्ढे का आकार</td><td>900</td><td>1000</td><td>1100</td><td>1300</td><td>1300</td><td>1400</td></tr>
</table>

*- केवल व्यक्तिगत घरों के लिए

**- सामूहिक पारिवारिक शौचालय

चित्र 2 में दिए गए गड्ढों के विनिर्देशन का उल्लेख किया जाए।

</td></tr>
<tr><td>लागत (5 उपयोगकर्ताओं के लिए)</td><td>निर्माण सामग्री के आधार पर अनंतिम लागत 15,000/- रूपये से लेकर 20,000/- तक हो सकती है।</td></tr>
<tr><td colspan="2">विभिन्न परिस्थितियों में गर्तों(गड्ढों) का डिजायन</td></tr>
<tr><td>सामान्य परिस्थितियां</td><td>

आकृति 2 में सामान्य परिस्थितियों के लिए गोलाकार गर्तों के साथ एक विशिष्ट जलवाही शौचालय दर्शाया गया है । चट्टानी संस्तर जिसके बीच में एक मृदा परत हो, में निम्न अवमृदा जल स्तर के लिए तैयार किए जाने वाले डिजाइन के समान सिद्धांत पर खारे पानी के गर्त डिजाइन किए जा सकते हैं तथा दीर्घावधि रिसाव क्षमता को 20 एल/एम^2/डी तक रख सकते हैं । तथापि दरारों, चाक संरचनाओं वाले चट्टानों अथवा पुरानी निचली सरणियों में संदूषण बहुत लम्बी दूरी तक बह सकता है; अत: इन परिस्थितियों में सावधानी से जांच-पड़ताल तथा पर्याप्त प्रदूषण से सुरक्षा के उपायों को अपनाने की अपेक्षा होती है । काली कपासी मृदा में 10 एल/एम^2/डी के रिसाव की दर को ध्यान में रखकर गर्तों का डिजायन किया जाना चाहिए ।

रेत, बजरी और छोटे आकार की मिट्टी से 300 मि.मी. की चौड़ाई में एक लम्बवत भराव (एनवलप) दरारों वाले चट्टानी संस्तई में और काली कपासी मृदा में गर्त के चारो ओर तथा गर्त लाइनिंग के बाहर बनाया जाना चाहिए ।

</td></tr>
</table>

जल भराव वाले क्षेत्र	जल भराव के समय भू-स्तर से ऊपर संभावित जल के स्तर से ऊपर 300 मि.मी. तक गर्त को उपर उठाया जाना चाहिए । उस भूमि को गर्त से और इसके उपरी हिससे तक एक मीटर की दूरी तक चारों ओर से भराव करना चाहिए । गर्त को ऊपर उठाने पर शौचालय के फर्श को भी उठाना आवश्यक होगा । जल भरण क्षेत्रों के एक विशिष्ट जलवाही शौचालय को **आकृति-3** में दर्शाया गया है ।
उच्च अवमृदा जल स्तर में	जहां भू-स्तर से नीचे अवमृदा जल स्तर 300 मि.मी. से कम उठा होता है गर्त के ऊपरी हिस्से को संभावित अवमृदा जल स्तर से ऊपर 300 मि.मी. तक उठाया जाना चाहिए और गर्त के चारों ओर भूमि का भराव कर देना चाहिए तथा ऊपर कहे गए अनुसार शौचालय फर्श को उठाया जाना चाहिए । उच्च अवमृदा जल स्तर में लीच गर्त के साथ एक विशिष्ट जलवाही शौचालय **आकृति-4** के रूप में दर्शाया गया है ।
जहां स्थान की कमी हो	जहां स्थानाभाव के कारण गोलकार गर्त का निर्माण नहीं किया जा सकता हो, वहां छोटी गोलाई (750 मि.मी. से अनधिक) अथवा संयुक्त अथवा अंडाकार वाले गहरे गर्त, एक विभाजक दीवार द्वारा दो समान भागों में विभक्त चौकोर अथवा आयताकार गर्त मुहैया किया जा सकता है । संयुक्त गर्तों वाले मामले में विभाजन दीवार में छिद्र नहीं होने चाहिए । विभाजन दीवार गर्त के संस्तर से 225 मि.मी. गहरी जानी चाहिए तथा उसे सीमेंट के गारे से दोनों तरफ प्लास्टर किया जाना चाहिए । संयुक्त गर्तों वाली एक विशिष्ट जलवाही शौचालय **आकृति-5** में दर्शाया गया है ।

II. <u>सेप्टिक टैंक</u>

विवरण	सेप्टिक टैंक भूमि के नीचे होता है जिसमें अवायवीय स्थितियों में शौच एकत्र होता है और अभिचार होता है । सेप्टिक टैंक से वहि:स्राव को सोक – पिट में छोड़ना चाहिए। एक सुप्रबंधित सेप्टिक टैंक अपजल से लगभग 50 से 60% तक जैविक भार हटाता है ।
प्रचालन पद्धति	ठोस अपशिष्ट को टैंक में डाला जाता है और अवायवीय रूप से अपघटन होता है । यह अवमल का मात्रा को घटाता है और लीचिंग प्रणाली को अवरूद्ध किए बिना अपजल को भूमि के अंदर रिसाव करने में मदद करता है । अवमल टैंक में बैठ जाता है और अवायवीय रूप से मेथेन और अन्य गैसों को छोड़ते हुए कुछ समय में अपघटित हो जाता है ।
प्रचालन और अनुरक्षण अपेक्षाएं	सेप्टेज को कम से कम प्रत्येक 2 या 3 वर्षों में सेप्टिक टैंक से हटा देना चाहिए और निपटान से पूर्व शोधन हेतु दूर भेज देना चाहिए । नगरपालिका एंटिटी अथवा निजी ठेकेदार द्वारा सेप्टिक टैंकों को अवमल से मुक्त करना अपेक्षित है और किसी शोधन संयंत्र में सेप्टेज के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना चाहिए । तथापि, सेप्टिक टैंक के प्रचालन और पंबंधन का दायित्व सम्पत्ति के स्वामी पर है ।
सीमाएं	• सोक पिट हेतु लागत और स्थल अपेक्षाएं ।

	• यद्यपि सेप्टिक टैंकों को अपजल के लिए डिजायन किया जाता है और उनमें प्राय: ब्लैक और ग्रे जल जाते रहता है । परिणामस्वरूप सेप्टिक टैंक का प्रतिधारण समय अपर्याप्त होता है तथा सोक पिट हाइड्रोलिक रूप से अतिभारित हो जाता है । इसका अभिप्राय है कि सेप्टिक टैंकों को नियमित रूप से अवमल मुक्त करने की आवश्यकता होगी ।
विनिर्देशन	**(क) आकृति-1 में दशाये गए अनुसार शौचालय/मुख्य संरचना हेतु आकार विकल्प** • 750 मि.मी. x 900 मि.मी. x 1900 मि.मी. अथवा • 800 मि.मी. x 1000 मि.मी. x 1900 मि.मी. (ख) **सामग्री** – ईंट चिनाई कार्य **(**आकृति-1 के अनुसार) / एफआरपी **/** पूर्व-वलित बेलनाकार आकार की इकाई **(**ग) **न्यूनतम अपेक्षित भूमि-** 40 वर्ग फीट से 50 वर्ग फीट (मुख्य संरचना की स्थिति पर निर्भर करते हुए) **(**घ) **सोक- पिट का आकार** – सीवेज पिट कम से कम 0.9 मी. के क्रॉस सेक्शनल विस्तार के साथ किसी उपयुक्त आकार की तथा इनलेट पाइप के इन्वर्ट स्तर से कम से कम 1 मी. नीचे होनी चाहिए । निर्माण छिद्रित ईंटों से होगी । **(**ड.) **पारिवारिक सेप्टिक टैंकों का अनुशंसित आकार** (20 प्रयोक्ताओं तक के लिए **–** समूह**/** भागीदारी वाला शौचालय) नीचे सरणी 2 में दिया गया है :

प्रयोक्ताओं की सं.	**लम्बाई (मी.)**	**चौड़ाई (मी.)**	**तरल गहराई(मी.) (सफाई अन्तराल)**	
			2 वर्ष	**3 वर्ष**
5*	1.5	0.75	1.0	1.05
10**	2.0	0.90	1.0	1.4
15**	2.0	0.90	1.3	2.00
20**	2.3	1.10	1.3	1.80

*- केवल आईएचएल हेतु

**- समूह पारिवारिक शौचालय

नोट *1:* क्षमताओं को इन मान्यताओं के साथ अनुशंसित किया गया है कि डब्ल्यूसी से वहि:स्राव सेप्टिक टैंक में शोधित होगा ।

नोट *2: 300* मि.मी. के प्रावधान को मुक्त कर देना चाहिए ।.

नोट *3:* सेप्टिक टैंक का आकार आईएस: 2470 (भाग-1) में यथा अनुमानित, अति वहि:स्राव (पीक डिस्वार्ज) पर कुछ मान्यताओं पर आधारित है तथा सेप्टिक टैंक के आकार के निर्धारण के समय सटीक गणनाएं की जाएंगी ।

लागत (5 प्रयोक्ताओं के	• निर्माण सामग्री (शौचालय और सेप्टिक टैंक) पर निर्भर करते हुए अनन्तिम लागत 25000/-रूपए से 30,000/-रूपए तक भिन्न-भिन्न है ।

लिए)	• पूर्व निर्मित सैप्टिक टैंक बाजार में कम लागत पर उपलब्ध है जिसका कार्यान्वयन में तेजी के लिए भी पता लगाया जा सकता है ।

।।।. बायो-डाइजेस्टर शौचालय (डीआरडीओ द्वारा विकसित)

विवरण	बायोडाइजेस्टर शौचालय इनोकुलम (एनारोबिक बैक्टीरिया) वाला अवायवीय बहु-कक्षीय टैंक होता है जो जैविक सामग्री का जैव विधि से पचाता है। बायोडाइजेस्टर शौचालय का ब्यौरा चित्र 7 में दर्शाया गया है। यह प्रणाली मल संबंधी अपशिष्ट को जैव अनुकूल तरीके से उपयोगी जल एवं गैसों में परिवर्तित करती है। इसे शौचालय अथवा शौचालयों की श्रृंखला से जोड़ा जा सकता है। शौचालय बायोडाइजेस्टर पर स्थापित अधोसंरचना में एक इनलेट एक आउटलेट और एक गैस पाइप होता है। टैंक में दो घटक नामत: एनारोबिक माइक्रोबियल इनोकुलम (सीडबैक्टीरिया) और विशेष रूप से डिजाइन किया गया किण्वन टैंक होता है। टैंक स्टैनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, एफआरसी अथवा कंक्रीट से बना होता है। बायोडाइजेस्टर टैंक से अर्द्धशोधित जल को स्राव के स्वीकार्य स्तर तक इसके शोधन के लिए सोरवाई गडडे अथवा रीड बेड प्रणाली में अतिरिक्त निपटान किए जाने की आवश्यकता होती है।
लाभ	• चूंकि इसमें गाद का निर्माण नहीं होता है इसलिए गाय निकालने और शोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए यह दीर्घावधि में अधिक किफायती है क्योंकि यह जल का संरक्षण करती है और इसका प्रचालन एवं अनुरक्षण भी न्यूनतम है। • मल का क्षरण माइक्रोबियल अभिक्रिया से होता है जो इसे बायोगैस एवं गंधहीन जल में परिवर्तित कर देता है। • प्रौद्योगिकी पर्यावरण अनुकूल, अनुरक्षण मुक्त और पारं परिक ऊर्जा स्रोत पर निर्भरता के बिना सक्षम है। • शौचालय सफाई अभिकर्मों के उपयोग की अनुमति। • गतिमान एवं स्थिर प्लेटफार्मों के लिए उपयुक्त । • बायोडाइजेस्टर का सतत उपयोग को री-चार्जिंग, पुनर्स्थानांतरण अथवा रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। • लागत पारं परिक शौचालयों से कम आता है। • परिवहन एवं स्थापना में आसान। • सेप्टिक टैंक की एक तिहाई से एक-चौथाई क्षमता।

	• स्थान की कम आवश्यकता होती है।
सीमाएं	
विनिर्देशन	**शौचालय अधोसंरचना** (क) शौचालय/अधोसंरचना का आकार-जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है। • 750 मिमी.x900 मिमी. x 1900 मिमी.अथवा • 800 मिमी. x 1000 मिमी. x1900 मिमी. (ख) सामग्री-ईंट कार्य (चित्र 1 के अनुसार)/एफआरपी/प्री-कास्ट सिलिंड्रीकल इकाई। **बायोटैंक** (क) भूमि अपेक्षा-25 वर्गफीट (ख) टैंक का आंतरिक आयाम-1336 मिमी x1036मिमी. x900मिमी. (ग) 8 मिमी. मोटाई (पर्याप्त ढंग से रिब्स द्वारा मजबूत) के विकर्ण विभाजन दीवार (घ) टैंक 600 मिमी. नीचे बनाया जाता है और कोने पर एंकर बोल्ट से 300 मिमी. लंबी स्टेनलेस स्टील (एसएस 316) द्वारा सहारा दिया जाता है। (ङ) 8 मिमी. मोटाई का एफआरपी टैंक (च) टैंक से जल-रोधी आउटलेट का प्रावधान (छ) 5-6 प्रयोक्ता के लिए: क. कुल क्षमता: 700 लीटर (1000 मिमी x700 और 1000मिमी. गहराई) जहां स्थान की समस्या है वहां टैंक की गहराई 1.5 मी. तक बढ़ाई जा सकती है। ख. अवापवीय बहु-कक्षीय की क्षमता (कुल क्षमता का 30%) 210 लीटर ग. टैंक का निर्माण चिनाई से भी किया जा सकता है । तालिका-3. विभिन्न प्रयोक्ता समूहों के लिए बायो-डाइजेस्टर की क्षमता:

प्रयोक्ता की संख्या	बायो-डाइजेस्टर/ बायो-टायलेट का आकार	टिप्पणियां
4-8 (एकल परिवार)	0.7मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	व्यक्तिगत
8-15 (दो परिवार)	1.2 मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	समूह / साझा
30-50	3.2 मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	सामुदायिक
100-120	6.0 मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	
200-220	12.0 मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	
500-600	30.0 मी^{3} (एफआरपी / आरसीसी सामग्री)	

लागत अनुमान	• निर्माण सामग्री के आधार पर शौचालय की लागत 12000 रू0 और15000 रू0 के बीच

	• नीचे तालिका 4 के अनुसार बायो-डाइजेस्टर

बायो-डाइजेस्टर टैंक->	**निर्माण सामग्री**		
प्रयोक्ता की संख्या / क्षमता	**चिनाई**	**प्रीकास्ट सिलिंड्रिकल यूनिट**	**फाइबर रेनफोर्सड प्लास्टिक**
5 **से** 7 **प्रयोक्ता** (700 **ली.**)	17,100	11,600	22,000
10 **से** 12 **प्रयोक्ता** (1000 **ली.**)*	19,000	13,600	24,000
***समूह/साझा शौचालय**			

IV. <u>बायो टैंक/जैव शौचालय (निजी संचालकों द्वारा पेंटेंट किया हुआ और विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग द्वारा अनुमोदित)</u>

विवरण	यह प्रौद्योगिकी डीआरडीओ द्वारा विकसित बायो-डाइजेस्टर शौचालय से भिन्न है क्योंकि अपनाई गई प्रक्रिया एरोबिक है-जिसमें जीवाणुओं के विभिन्न मल्टी-स्ट्रेन शामिल होते हैं जो उपचयन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को खंडित करते हैं। बायो-शौचालयों में प्रयोजन निर्मित बहु-कक्षीय बायो टैंक होते हैं जिसमें चित्र 8 में दर्शाए अनुसार अपशिष्ट इकट्ठा किया जाता है। बायो टैंक में एक विशेष प्रक्रिया द्वारा अपशिष्ट की गति नीचे की तरफ होती है जैसे-जैसे अपशिष्ट एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में बहता है, टैंक में मौजूद मल्टी स्ट्रेन बायो मीडिया अपशिष्ट को पचाते हैं और इसे पूरी तरह से गैर-विषाक्त निष्प्रभावित पानी में परिवर्तित कर देते है। इसके बाद यह जल विसंक्रमण हेतु अंतिम चैम्बर से गुजरता है। इस पानी को क्लोरीन से शोधित किया जाता है जहां अधिकांश रोगाणु मर जाते हैं। यह परिणामी जल सभी प्रकार की ई-कोलाई और मल कोलीफार्म से मुक्त हो जाता है। ईंट और गहरे बायो-टैंक का वर्णन चित्र 8 के अंतिम आरेख में किया गया है। अधोसंरचना ईंट एवं गारे से बनाई जाती है। ये फ्लश एवं नान-फ्लश दोनों मोडल में उपलब्ध है।

लाभ	• एरोबिक जीवाणु जैविक अपशिष्ट के निपटान में अत्यंत कुशल होते हैं और जीवाणु अपशिष्ट को 24 घंटे के अंदर पानी में अपघटित कर देते हैं। ऐरोबिक क्षरण का अंतिम उत्पाद कार्बन-डाई आक्साइड तथा जल है।

	• एरोबिक पाथवे पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। • जैव-शौचालय प्रोर्टेबल के साथ-साथ स्थायी मॉडलों दोनों में उपलब्ध हैं। पोर्टेबल मॉडल का लाभ यह है कि जहां और जब आवश्यक हो इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर उठाकर ले जाया जा सकता है और मोडयूल को आसानी से जोड़ या अलग-अलग कर सकते हैं। • जैव-शौचालय किसी आवधिक गाद निकासी की आवश्यकता से निजात दिलाता है।
सीमाएं	• जीवाणु 4 और 55 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बीच सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। • जैव-शौचालयों को विशिष्ट स्थान पर उपयोग के आधार पर आवधिक रूप से समुचित जीवाणु के संचारण की आवश्यकता होती है। जैव-शौचालयों का समाधान के तौर पर चयन करने से पूर्व, निर्धारित क्षेत्रों में शौचालयों के प्रचालन तथा उपयोग की एक गहरी समझ भी विकसित की जानी चाहिए। विशेष रूप से घनी शहरी आबादी वाले क्षेत्रों में प्रचालन और अनुरक्षण पर ध्यान दिया जाना चाहिए जहां जैव शौचालयों में अवरोध की संभावना बढ़ जाती है, यदि समय पर संचारण न किया जाता है तो एक समयावधि में इसे प्रयोगहीन बना देती है। • पैन को साफ करने के लिए फिनाइल/हार्पिक या अन्य तीक्ष्ण डिजरजेंट/एसिड और ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। केवल प्राकृतिक/आयुर्वेदिक सफाई पदार्थों का प्रयोग किया जाना चाहिए। • रोगाणुनाशन के लिए क्लोरीन डोज आवश्यक है।
प्रचालन एवं अनुरक्षण	आईएचएल/सहभागी शौचालयों के मामले में शौचालय/अधोसंरचना की सफाई का उत्तरदायित्व मकान के स्वामी का होगा तथा सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों के मामले में यह उत्तरदायित्व शहरी स्थानीय निकायों का होगा।
विनिर्देशन	(क) चित्र 1 में प्रदर्शित शौचालय/अधोसंरचना का आकार • 750 मिमी.X 900मिमी. X 1900 मिमी. या • 800 मिमी. X 1000 मिमी. X 1900 मिमी. (ख) सामग्री- बायो डाइजेस्टर टैंक तथा अधोसंरचना की ईंटें तथा गारे की दीवारें, पीसीजी का टैंक तल, आरसीसी का शौचालय तल, पीवीसी का दरवाजा तथा फ्रेम, आरसीसी/पीवीसी/जीआई शीट की शौचालय छत। (ग) जैव-शौचालय प्रणाली में निम्न शामिल हैं: • बायो डाइजेस्टर टैंक (ईंटे तथा गारा/एफआरपी/इस्पात) • अधोसंरचना (ईंटे तथा गारा/एफआरपी) • भारतीय पैन/डब्ल्यूसी • आकार: 4 फुट X 4 फुट का टैंक आधार, टंकी की ऊंचाई-4 फुट,

	अधोसंरचना की ऊंचाई-6 फुट • अनुशंसित अधि कतम प्रयोग; 30 मलोत्सर्ग/दिन/जैव शौचालय (मूत्रत्याग की कोई सीमा नहीं) (घ) भूमि की आवश्यकता—16 वर्गफुट
लागत अनुमान	अधोसंरचना सहित जैव-शौचालय की अस्थायी लागत लगभग 20,000/- रू0 है, यह निर्माण की सामग्री पर निर्भर करता है। जैव शौचालय की आपूर्ति निर्माताओं द्वारा की जानी चाहिए तथा प्रयोग शुरू करने के लिए निर्माता/आपूर्तिकर्ता द्वारा आईईसी (प्रचालन एवं अनुरक्षण हेतु प्रयोगकर्ता को प्रशिक्षित करना) के साथ-साथ कम से कम 5 वर्ष (आवधिक आवश्यकता में इनोक्यूलम की पूर्ति सहित) के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण भी किया जाना चाहिए।

सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों के लिए मानक और विनिर्देशन

विवरण	**सामुदायिक शौचालय ब्लॉक** एक भागीदारी सुविधा है जिसे निवासियों के समूह अथवा पूरी बस्ती के लिए मुहैया किया जाता है । सामुदायिक शौचालय ब्लॉक मुख्य रूप से अल्प-आय अनौपचारिक बस्ती जहां स्थान और/अथवा भूमि की समस्या है, में उपयोग होता है । आम तौर पर इस तरह के ओएसएस व्यवस्था में पोर फ्लश विकल्प का उपयोग होता है । सामुदाय के उपयोग हेतु इस ब्लॉक में धोने, नहाने छोटे भस्मक जैसी सुविधाएं मुहैया करने की सलाह भी दी जाती है । **सार्वजनिक शौचालय** बाजारों, ट्रेन स्टेशनों अथवा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र जैसे स्थानों में अस्थायी जनसंख्या/सामान्य जन जहां पर्याप्त लोग गुजरते हैं, के लिए प्रदान की जाती है ।
सार्वजनिक/सामुदायिक शौचालयों के लिए सेप्टिक टैंक	सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालयों हेतु सेप्टिक टैंकों के अनुशंसित आकार (300 उपयोगकर्ताओं तक) नीचे **सारणी 5** में दिए गए हैं ।

उपयोगकर्ताओं की संख्या	**लम्बाई (मी.)**	**चौड़ाई (मी.)**	**तरल गहराई (सफाई के अंतराल)**	
			2 years	3 years
50	5.0	2.00	1.0	1.24
100	7.5	2.65	1.0	1.24
150	10.0	3.00	1.0	1.24
200	12.0	3.30	1.0	1.24
300	15.0	4.00	1.0	1.24

स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणालियां,2013 भाग-क इंजीनियरी संबंधी मैनुअल

<table>
<tr><td></td><td>नोट 1: फ्री बोर्ड के लिए 300 मिमी. का प्रावधान करना चाहिए ।
नोट 2: सेप्टिक टैंक के आकार पीक डिस्चार्ज संबंधी प्रत्येक अनुमानों के आधार पर हैं, जिसका आईएस 2470 (भाग 1) में अनुमान किया है और टैंक के आकार चयन करते समय सटीक गणना करनी चाहिए ।
नोट 3: 100 से अधिक आबादी के लिए, टैंक को रखरखाव और सफाई के स्वतंत्र समानांतर कक्षों में विभाजित किया जा सकता है ।</td></tr>
<tr><td>सामुदायिक शौचालय-शौचालय सीट हेतु मानक</td><td>• 35 पुरूषों के लिए एक सीट;
• 25 महिलाओं के लिए एक सीट
• पर्याप्त स्नान की सुविधा</td></tr>
<tr><td>सार्वजनिक शौचालय-शौचालय सीट के लिए मानक</td><td>सार्वजनिक शौचालयों के लिए शौचालय सीट हेतु मानक सारणी 6 में दिए गए हैं :
<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>स्वच्छता इकाई</th><th>पुरूषों के लिए</th><th>महिलाओं के लिए</th></tr>
<tr><td>i.</td><td>जलवाही शौचालय</td><td>400 व्यक्तियों तक प्रति 100 व्यक्तियों के लिए एक सीट 400 से अधिक व्यक्तियों के लिए एक सीट प्रति 250 व्यक्तियों की दर से तथा इसके भाग के रूप में जोड़ा जाए ।</td><td>200 व्यक्तियों तक 100 व्यक्तियों के लिए दो सीट; 200 व्यक्तियों से अधिक के लिए एक सीट प्रति 100 व्यक्तियों तथा इसके भाग के रूप में जोड़ा जाए</td></tr>
<tr><td>ii.</td><td>स्नान नल</td><td>प्रत्येक डब्ल्यू.सी. पर एक</td><td>प्रत्येक डब्ल्यू.सी. पर एक</td></tr>
<tr><td>iii.</td><td>मूत्रालय</td><td>50 व्यक्तियों के लिए एक अथवा इसके भाग के रूप में</td><td>शून्य</td></tr>
<tr><td>iv.</td><td>वॉश बेसिन</td><td>प्रदान किए गए प्रति डब्ल्यू.सी. और मूत्राशय पर एक</td><td>प्रदान किए गए प्रति डब्ल्यू.सी. पर एक</td></tr>
</table>
स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली, 2013 भाग-क इंजीनियरी संबंधी मैनुअल
नोट:
i) यह माना जा सकता है कि इस संख्या में दो तिहाई पुरूष और एक तिहाई महिलाएं हैं ।
ii) जलवाही शौचालय के आस-पास के क्षेत्रों और मूत्रालयों में प्रत्येक 50 व्यक्तियों अथवा इसके भाग के रूप में जलनिकासी व्यवस्था सहित एक पानी का नल प्रदान किया जाएगा ।</td></tr>
</table>

	* महिला डब्ल्यू.सी. के कम से कम 50% भारतीय पैन और 50% ईडब्ल्यूसी हो सकते हैं । iii) ट्रांस जेंडर लोगों के लिए पृथक सीट भी प्रदान किया जा सकता है *iv)* विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था की जा सकती है ।
शोधन इकाईयां	1. रीड बेड प्रणालियों/सोक पिटों वाले जैविक डाईजेस्टर 2. जैविक टैंक 3. सोक पिटों वाले सेप्टिक टैंक
लागत	सामुदायिक शौचालयों के लिए अस्थायी मूल कीमत 65,000/-रू. प्रति सीट है तथा सार्वजनिक शौचालयों की 75,000 प्रति सीट है । तथापि, प्रत्येक सीट के लिए कीमत निर्माण सामग्री, निर्माण की गुणवत्ता, अपनायी गई शोधन प्रौद्योगिकी के प्रकार तथा निर्दिष्ट अवधि के लिए प्रचालन और अनुरक्षण के आधार पर भिन्न-भिन्न होगी । तथापि एनबीसीसी द्वारा दिए गए जैव-डाजेस्टर में शौचालय की कीमत निम्नवत है:-

200 प्रयोगकर्ताओं के लिए अधोसंरचना 5 क्यूबिकल		
पहले से पेंट की गई गेल्वेनाइज्ड सीटें	चिनाई	सीमेंट बोर्ड
1,63,000.00/-रू.	95,000.00/-रू.	80,000.00/-रू.
400 प्रयोगकर्ताओं के लिए अधोसंरचना 10 क्यूबिकल		
पहले से पेंट की गई गेल्वेनाइज्ड सीटें	चिनाई	सीमेंट बोर्ड
3,26,000.00/- रू.	1,80,000.00/- रू.	1,60,000.00/- रू.
प्रत्येक 200 प्रयोगकर्ताओं के लिए जैव डाईजेस्टर टैंक 10 केएलडी		
चिनाई		
1,74,000.00/- रू.		

	प्रति 200 प्रयोगकर्ता		
अतिरिक्त अवसंरचना	यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि शौचालयों के उचित प्रकार से कार्य करने और रखरखाव के लिए जल की पर्याप्त व्यवस्था की जाए । जहां कहीं संभव हो; शहरी स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यवधान रहित उर्जा आपूर्ति, प्रचालन और अनुरक्षण लागत को कम करना सुनिश्चित करने हेतु बिजली के उत्पादन के लिए सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों में सौर ऊर्जा पेनलों की व्यवस्था की जाए ।		
कार्यान्वयन पद्धति	सभी शौचालय कम से कम 5 वर्षों के लिए पहले से स्थापित प्रचालन और अनुरक्षण प्रावधान के साथ पीपीपी पद्धति के माध्यम से निर्मित किए जाएंगे ।		

अतिरिक्त ब्यौरे के लिए एनबीसीसी द्वारा विकसित दिशानिर्देशों को डाउनलोड किया जा सकता है । (www.nbccindia.gov.in)

आकृति

<u>आकृति 1: शौचालय का विस्तृत ले-आउट</u>

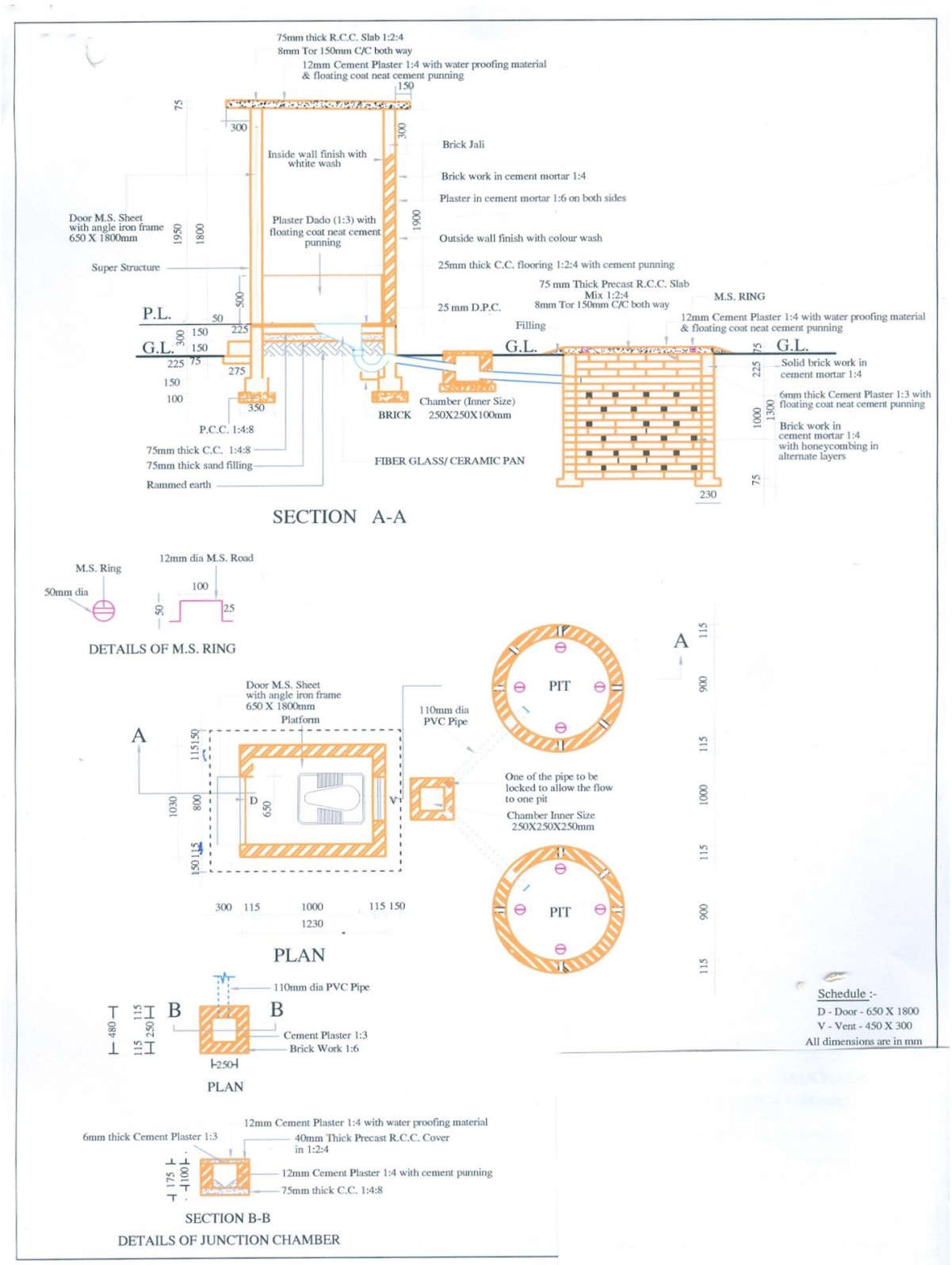

आकृति 2: गोलाकार गड्ढों वाले पोर-फ्लश शौचालय

(स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2013, भाग ए :इंजीनियरिंग)

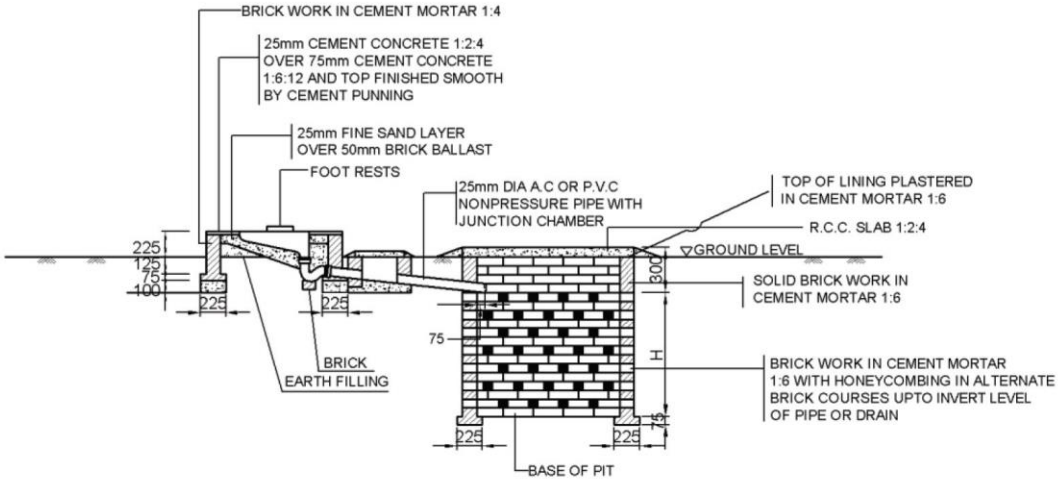

SECTION A B C

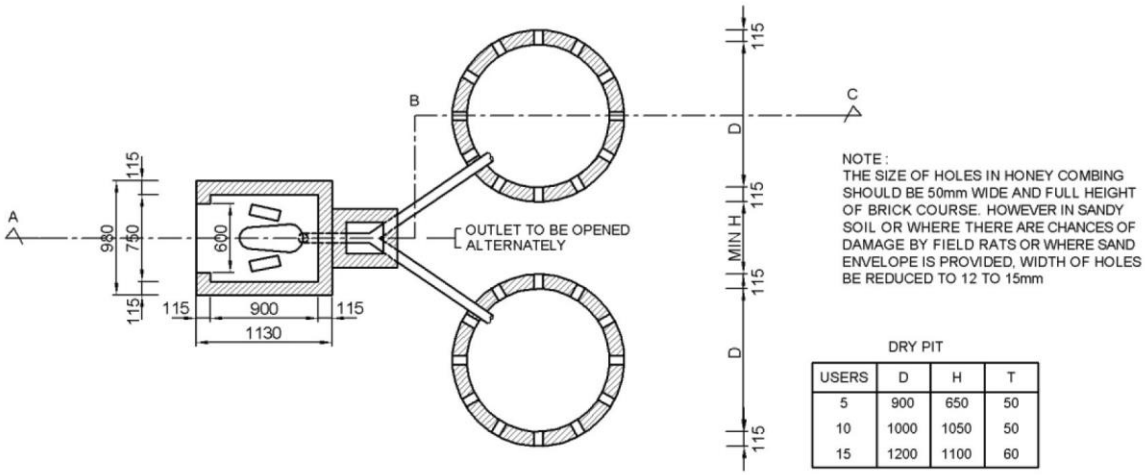

DRY PIT

USERS	D	H	T
5	900	650	50
10	1000	1050	50
15	1200	1100	60

PLAN

आकृति 3: जल जमाव क्षेत्रों में पोर-फ्लश शौचालय

(स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2013, भाग ए :इंजीनियरिंग)

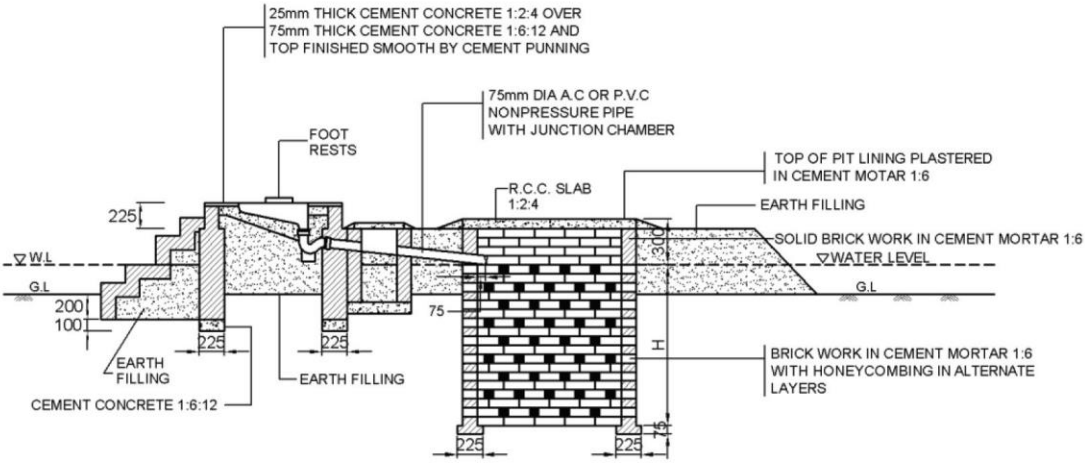

SECTION A B C

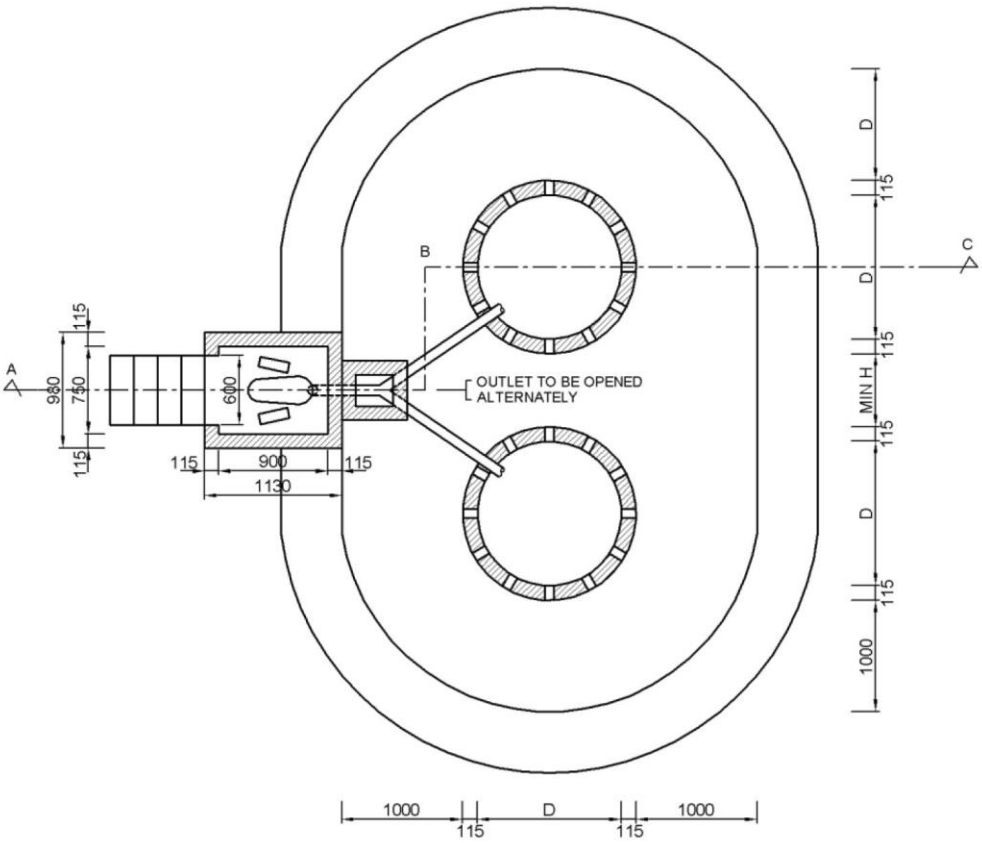

PLAN

<u>आकृति</u> 4: <u>उच्च भूमिगत जल स्तर में खारे पानी के गड्ढे</u>

(स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2013, भाग ए :इंजीनियरिंग)

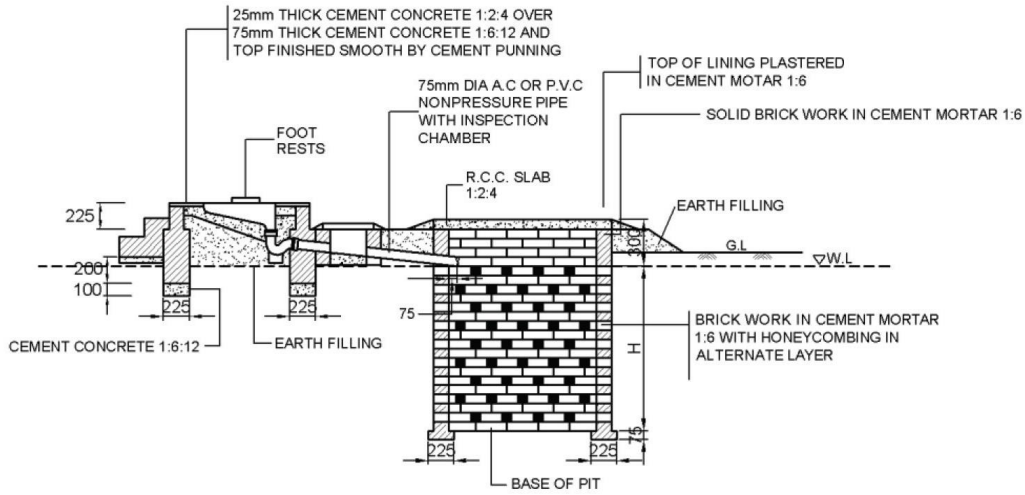

SECTION A B C

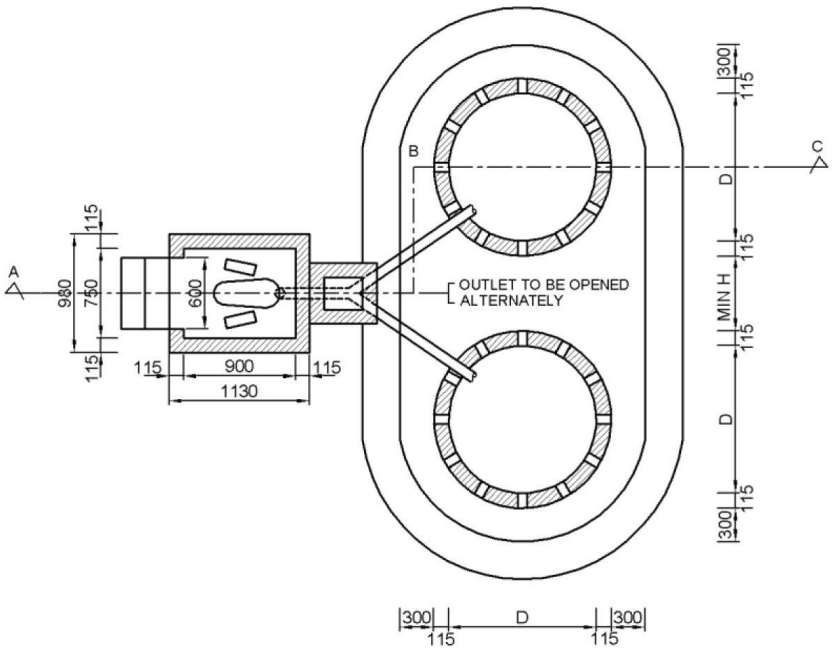

PLAN

<u>आकृति</u> 5: संयुक्त गड्ढों वाले पोर- फ्लश शौचालय

(स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2013, भाग ए :इंजीनियरिंग)

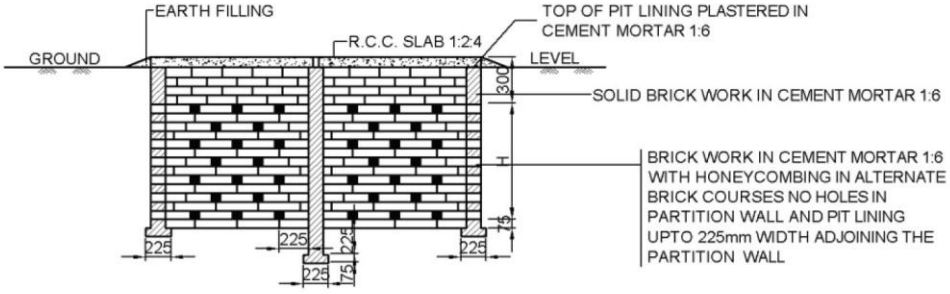

SECTION D E

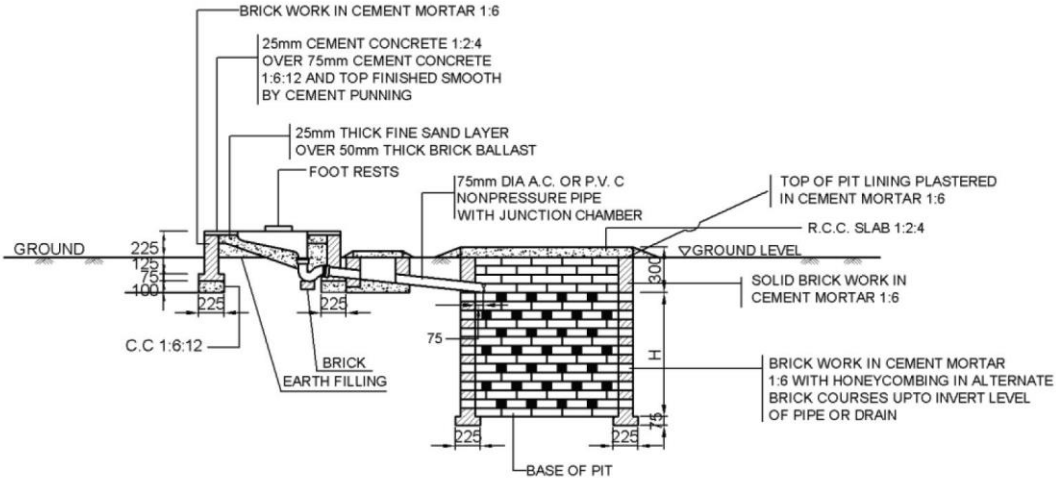

SECTION A B C

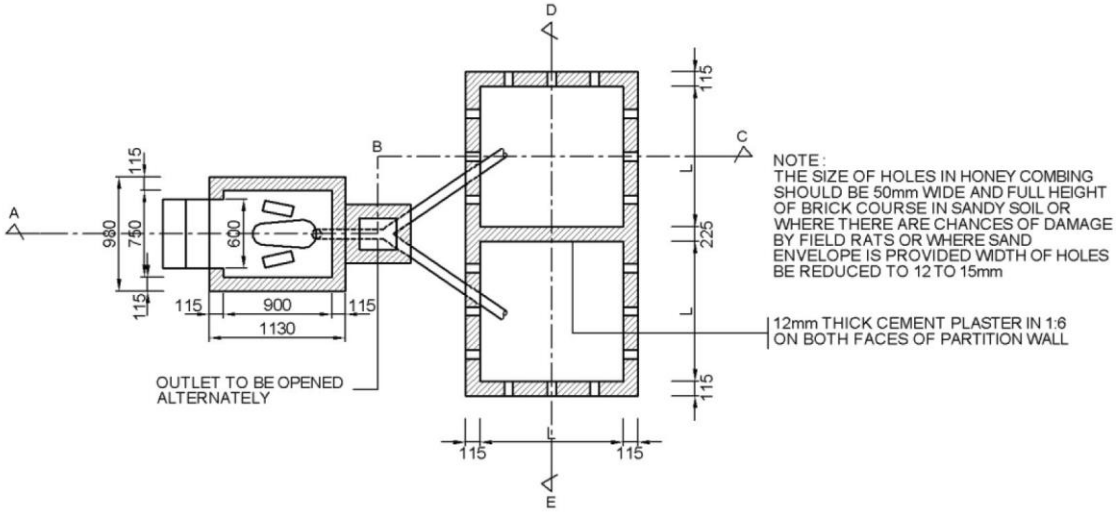

PLAN

<u>आकृति</u> <u>6: 5 उपयोगकर्ताओं के लिए दो कम्पार्टमेंट वाले सेप्टिक टैंक का विशिष्ट नक्शा</u>

(स्रोत: सीवरेज और सीवेज शोधन प्रणाली संबंधी मैनुअल, 2013, भाग ए :इंजीनियरिंग)

(परिमाप मिमी. में)

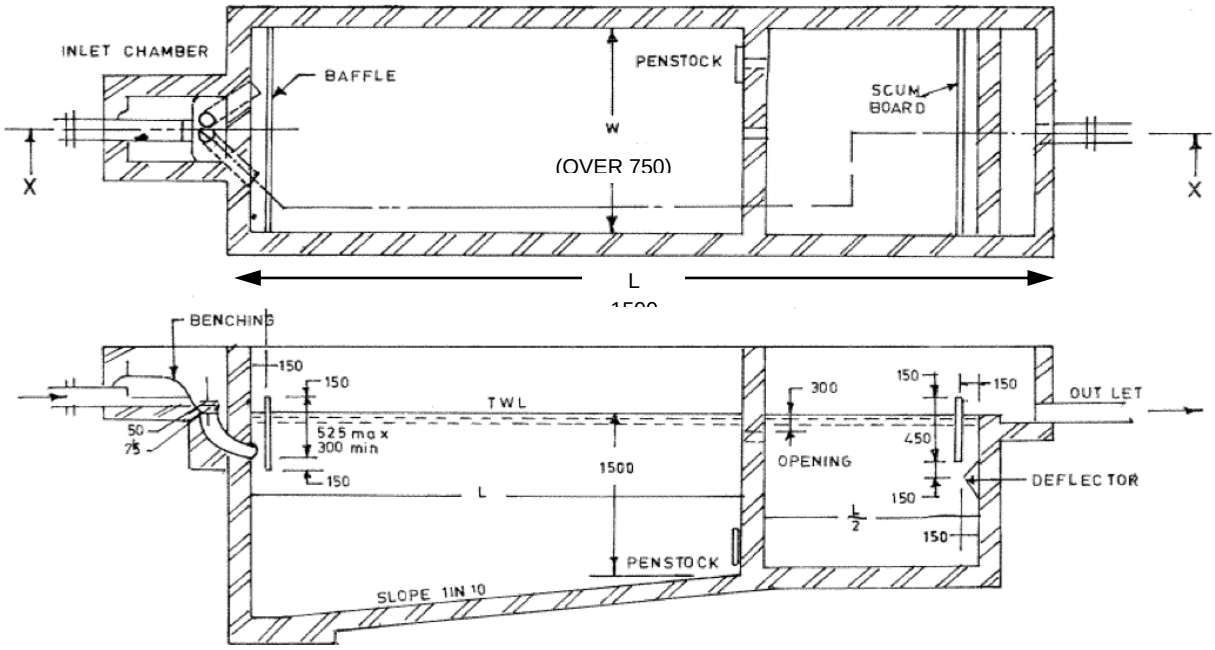

<u>आकृति</u> <u>7: रीड बेड वाले बायो-डाइजेस्टर का ब्यौरा</u>

(स्रोत: डीआरडीओ)

आकृति 8: जैव-शौचालय का ब्यौरा

(स्रोत: प्राइवेट एजेंसी)

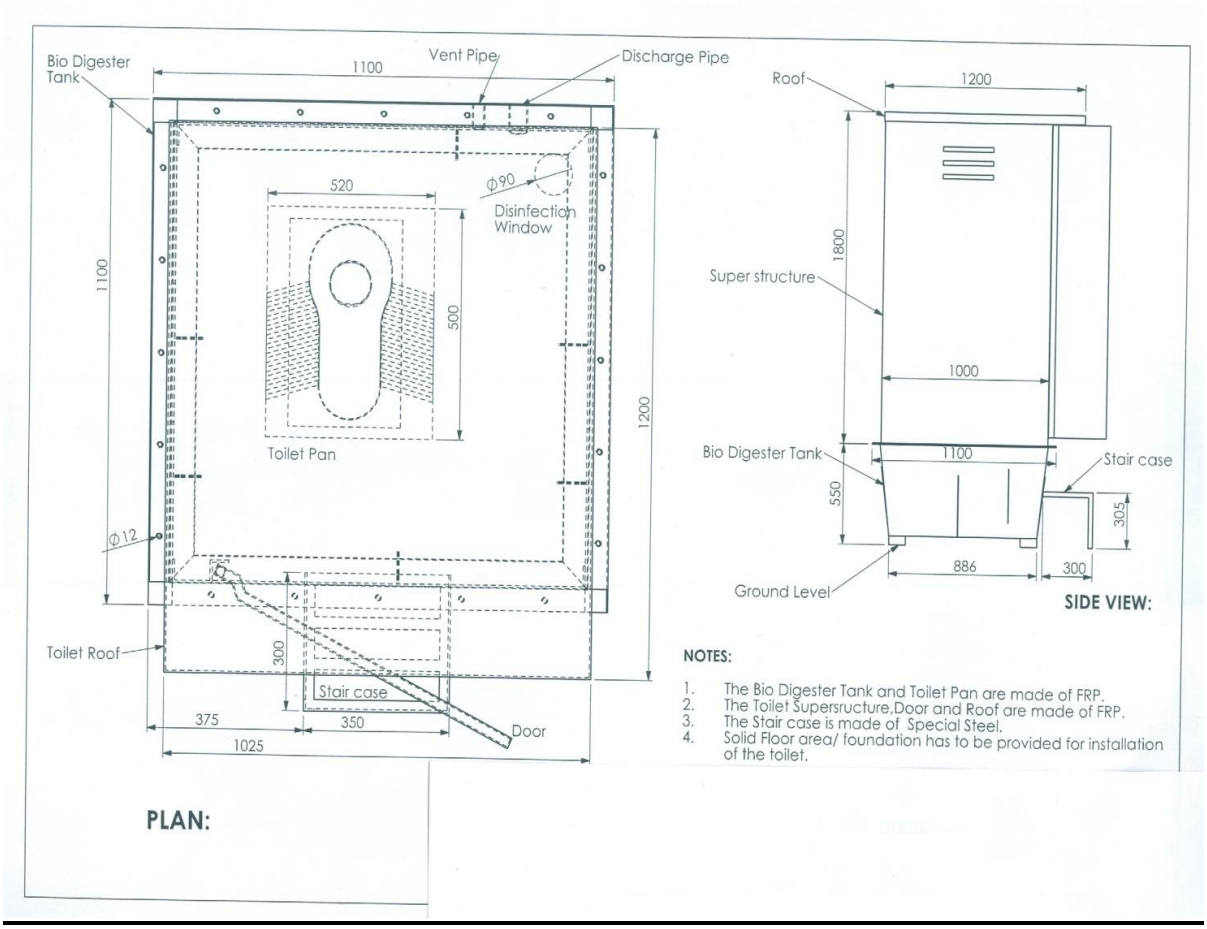

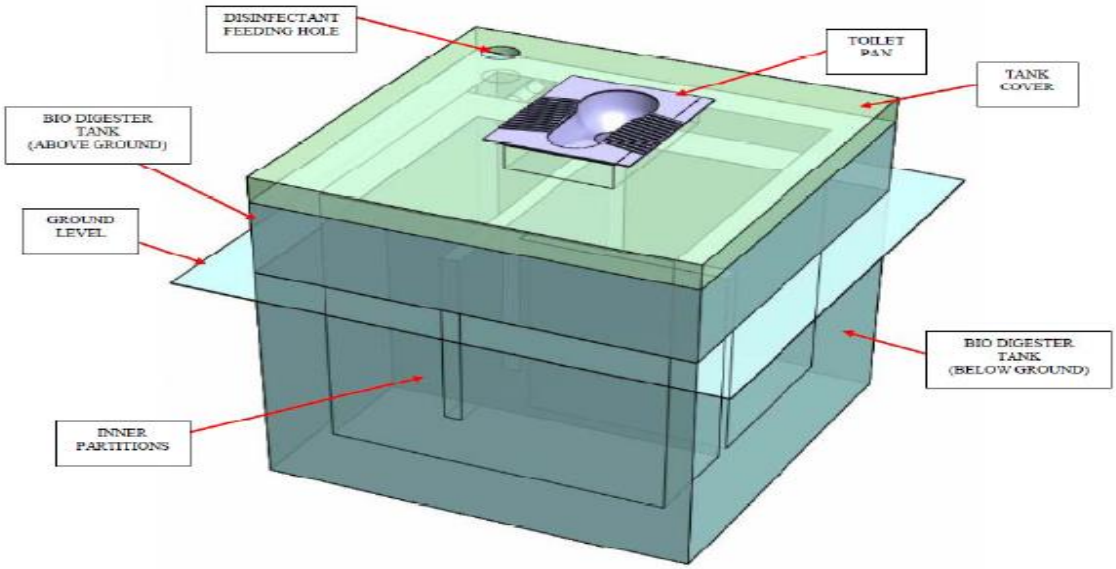

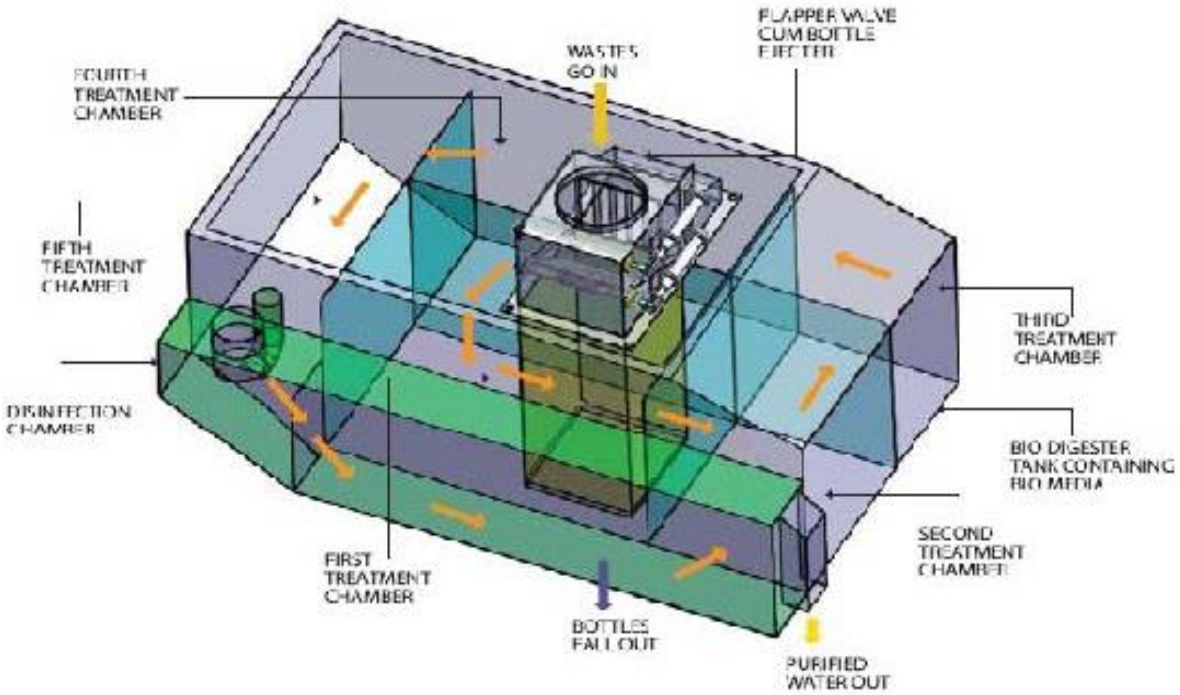
FLAPPER VALVE
CUM BOTTLE
EJECTER
WASTES
GO IN
FOURTH
TREATMENT
CHAMBER
FIFTH
TREATMENT
CHAMBER
THIRD
TREATMENT
CHAMBER
DISINFECTION
CHAMBER
BIO DIGESTER
TANK CONTAINING
BIO MEDIA
SECOND
TREATMENT
CHAMBER
FIRST
TREATMENT
CHAMBER
BOTTLES
FALL OUT
PURIFIED
WATER OUT

अनुलग्नक **III:** स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना धनराशि का वितरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सांविधिक कस्बों की जनसंख्या		सांविधिक कस्बे		खुले में शौच		धनराशि अंश*
	जनसंख्या (- ओजी)	जनसंख्या अंश (%)	संख्या	सांविधिक कस्बा अंश %	परिवारों की संख्या	पारिवारिक अंश %	(%)
अखिल भारत	**31,85,49,793**		**4,041**		**79,02,614**		
गैर-पूर्वोत्तर राज्य	**31,20,08,498**		**3,823**		**78,59,648**		
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	1,08,058	0.03%	1	0.03%	1,209	0.02%	0.03%
आंध्र प्रदेश	2,30,04,396	7.37%	125	3.27%	5,81,673	7.40%	5.32%
बिहार	1,12,41,824	3.60%	139	3.64%	5,46,409	6.95%	3.62%
चंडीगढ	9,61,587	0.31%	1	0.03%	6,397	0.08%	0.17%
छत्तीसगढ	56,87,885	1.82%	168	4.39%	4,15,147	5.28%	3.11%
दादरा एवं नगर हवेली	98,265	0.03%	1	0.03%	1,992	0.03%	0.03%
दमन और दीव	68,273	0.02%	**2**	0.05%	678	0.01%	0.04%
गोवा	4,01,929	0.13%	14	0.37%	5,788	0.07%	0.25%
गुजरात	2,31,88,334	7.43%	195	5.10%	3,88,836	4.95%	6.27%
हरियाणा	78,61,917	2.52%	80	2.09%	1,28,059	1.63%	2.31%
हिमाचल प्रदेश	6,58,036	0.21%	56	1.46%	10,911	0.14%	0.84%
जम्मू-कश्मीर	29,40,098	0.94%	86	2.25%	44,501	0.57%	1.60%
झारखंड	53,05,359	1.70%	40	1.05%	2,54,374	3.24%	1.37%
कर्नाटक	2,21,63,498	7.10%	220	5.75%	5,34,829	6.80%	6.43%
केरल	52,47,614	1.68%	59	1.54%	18,429	0.23%	1.61%
मध्य प्रदेश	1,87,83,104	6.02%	364	9.52%	7,89,555	10.05%	7.77%

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सांविधिक कस्बों की जनसंख्या		सांविधिक कस्बे		खुले में शौच		धनराशि अंश*
	जनसंख्या (- ओजी)	जनसंख्या अंश (%)	संख्या	सांविधिक कस्बा अंश %	परिवारों की संख्या	पारिवारिक अंश %	(%)
महाराष्ट्र	4,67,83,521	14.99%	256	6.70%	6,94,830	8.84%	10.85%
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,14,02,709	3.65%	3	0.08%	62,210	0.79%	1.87%
ओडिशा	59,69,842	1.91%	107	2.80%	4,08,170	5.19%	2.36%
पुडुचेरी	7,48,267	0.24%	**6**	0.16%	18,941	0.24%	0.20%
पंजाब	95,55,705	3.06%	143	3.74%	1,02,026	1.30%	3.40%
राजस्थान	1,57,17,489	5.04%	185	4.84%	4,31,290	5.49%	4.94%
तमिलनाडु	2,98,32,766	9.56%	721	18.86%	11,28,692	14.36%	14.21%
उत्तर प्रदेश	4,06,94,476	13.04%	648	16.95%	9,65,922	12.29%	15.00%
उत्तराखंड	24,89,380	0.80%	74	1.94%	19,206	0.24%	1.37%
पश्चिम बंगाल	2,10,94,166	6.76%	129	3.37%	2,99,574	3.81%	5.07%
पूर्वोत्तर राज्य	**65,41,295**		**218**		**42,966**		
अरूणाचल प्रदेश	3,13,557	4.79%	26	11.93%	4,241	9.87%	8.36%
असम	33,19,375	50.74%	88	40.37%	27,900	64.94%	45.56%
मणिपुर	6,36,625	9.73%	28	12.84%	3,427	7.98%	11.29%
मेघालय	3,75,930	5.75%	10	4.59%	1,887	4.39%	5.17%
मिजोरम	5,71,771	8.74%	23	10.55%	1,019	2.37%	9.65%
नगालैंड	5,05,440	7.73%	19	8.72%	2,279	5.30%	8.22%
सिक्किम	1,47,695	2.26%	8	3.67%	719	1.67%	2.96%
त्रिपुरा	6,70,902	10.26%	16	7.34%	1,494	3.48%	8.80%

अनुलग्नक- IV

_____राज्य के लिए राज्य शहरी स्वच्छता कार्यनीति संबंधी संकल्पना नोट

भाग क: मौजूदा शहरी स्वच्छता स्थिति का निर्धारण करने वाले पैरामीटर

1	**राज्य प्रोफाइल**	
1.1	राज्य का नाम	
1.2	2011 की जनगणना के अनुसार कुल शहरी जनसंख्या	
1.3	2011 की जनणना के अनुसार 1 सांविधिक कस्बों की संख्या	
1.4	2011 की जनणना के अनुसार 2 जनगणना कस्बों की संख्या	
1.5	सांविधिक कस्बों की जनसंख्या(2011 की जनगणना के अनुसार)	
1.6	जनगणना कस्बों की जनसंख्या(2011 की जनगणना के अनुसार)	
1.7	शहरी परिवारों की कुल संख्या	

2	**2011 की जनगणना के अनुसार स्वच्छता की स्थिति*[केवल सांविधिक कस्बों के लिए]***	**अनुलग्नक-I के अनुसार कुल संख्या (राज्य)***
2.1	खुले में शौच करने वाले शहरी परिवारों की संख्या **(**परिसर में नहीं- खुले में**)**	
2.2	उन परिवारों की संख्या जिनके पास गड्ढे वाले शौचालय हैं ।	
2.3	उन परिवारों की संख्या जिनके पास अस्वच्छकर शौचालय हैं ।	

3	**ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (प्रति व्यक्ति अपशिष्ट उत्सर्जन के आधार पर अनंतिम मात्रा**) [**केवल सांविधिक कस्बों के लिए]**	**कुल (राज्य)***
3.1	उत्सर्जित कुल ठोस अपशिष्ट(मिट्रिक टन में)	
3.2	एकत्रित कुल अपशिष्ट (मिट्रिक टन में)	
3.3	परिवहन किया गया कुल अपशिश्ट(मिट्रिक टन में)	
3.4	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन निपटान सुविधा वाले शहरों की संख्या	
3.5	शोधित कुल अपशिष्ट (मिट्रिक टन में)	

*जहां कहीं उपलब्ध हो शहर-वार सूचना भी शामिल की जाय ।

भाग ख: स्वच्छ भारत मिशन (एमबीएम) के लिए संस्थागत तंत्र -शहरी

	ब्यौरा उपलब्ध कराएं		
स्वच्छ भारत मिशन के लिए नोडल एजेंसी का नाम	*[नोडल एजेंसी का नाम उपलब्ध कराएं: अन्य यदि निर्दिष्ट नहीं है तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा उपलब्ध कराएं जिससे नोडल एजेंसी की नियुक्ति की जाएगी]*		
नोडल अधिकारी का नाम और पदनाम संपर्क नं. सहित	*[नोडल अधिकारी का नाम उपलब्ध कराएं: अन्य यदि निर्दिष्ट नहीं है तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा उपलब्ध कराएं जिससे नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी]*		
संस्थागत तंत्र		**आरंभ करने की तिथि (माह / वर्ष)**	**समाप्ति की तिथि (माह / वर्ष)**
क. राज्य स्तरीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति (एस - एचपीसी) का गठन	*[एस-एचपीसी का ब्यौरा मुहैया कराएं: अन्यथा यदि गठित नहीं की गई है तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा दें जिसके द्वारा एस-एचपीसी गठित की जाएगी : समय-सीमा अवधारणा नोट प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के भीतर होनी चाहिए]*		
ख. राज्य मिशन निदेशालय की स्थापना	*[मिशन निदेशालय का ब्यौरा मुहैया कराएं: अन्यथा यदि गठित नहीं किया गया है तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा दें जिसके द्वारा मिशन निदेशालय गठित किया जाएगा: समय-सीमा अवधारणा नोट प्रस्तुत करने के अधिकतम एक माह के भीतर होनी चाहिए]*		
ग. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत राज्य स्तर पर पीएमयू की स्थापना	*[पीएमयू का ब्यौरा मुहैया कराएं: अन्यथा यदि गठित नहीं की गई है तो उस प्रक्रिया का ब्यौरा दें जिसके द्वारा पीएमयू गठित की जाएगी: समय-सीमा अवधारणा नोट प्रस्तुत करने के अधिकतम तीन माह के भीतर होनी चाहिए]*		
राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति, 2008 के अनुसार राज्य स्वच्छता कार्यनीति प्रस्तुत करना (कृपया मंत्रालय की वेबसाइट www.moud.gov.in देखें)		**आरंभ करने की तिथि (माह / वर्ष)**	**प्रस्तुत करने की तिथि (माह / वर्ष)**

भाग ग: स्वच्छ भारत मिशन (एमबीएम) के लिए घटक-वार कार्य योजना-शहरी

वास्तविक लक्ष्य

1		लक्ष्य	*आधार लाइन 2014*	*वर्ष 2019 तक संचयी आंकलित अनुमान*	*वर्ष 2001-2011 तक आंकड़ों और अन्य घटकों के आधार पर कारण/औचित्य*	लक्ष्य 2014-15	लक्ष्य 2015-16	लक्ष्य 2016-17	लक्ष्य 2017-18	लक्ष्य 2018-19 (अक्टूबर2019 तक)	*संचयी लक्ष्य (2014- 2019)*
ए*	क	नए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएल) का निर्माण	*[भाग ए का 80%, 2.4]*								*[आधार लाइन 2014का 100%]*
	ख	गड्ढे वाले शौचालय को स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित करना	*[भाग ए, 2.2.4]*								*[आधार लाइन 2014का 60%]*
	ग	अस्वच्छकर शौचालय को स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित करना	*[भाग ए , 2.2.5]*								*[आधार लाइन 2014का 100%]]*
बी*		सामुदायिक शौचालयों का निर्माण [मानदण्ड: 1 सीट / 25 महिला और 1 सीट / 35 व्यक्ति]	*[भाग ए का 20% , 2.4]*								*[आधार लाइन 2014का 100%]*
सी*		सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण [मानदण्ड: 1 सीट / 50 महिलाएं और 1 सीट / निर्दिष्ट संख्या तक 100 व्यक्ति**]	*[भाग ए, 1.2]*								*[आधार लाइन 2014का 5%]*
डी		ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	*[शामिल किए जाने वाले प्रस्तावित शहरों की संख्या]*								*[निर्माणाधीन परियोजनाओं को छोड़कर 100%]*
ई		क्षमता निर्माण	*[भाग ए, 1.3]*								*[शहरों का 100%]*
एफ		जन जागरूकता और आईईसी	*[भाग ए, 1.3]*								*[शहरों का 100%]*

*दो वर्षों अर्थात 2016-17 तक शौचालयों का निर्माण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

**कृपया अधिक ब्यौरे के लिए सीवरेज और सीवेज प्रणाली संबंधी मैनुअल, भाग ए भी देखें (पृष्ठ सं. 8-16)

वित्तीय लक्ष्य

(करोड़ रू. में)

2	**वित्तपोषण [एसबीएम शहरी दिशानिर्देशों में वित्तपोषण पद्धति के अनुसार]**	***2014-2019 (कुल)***		***2014-15***		***2015-16***		***2016-17***		***2017-18***		***2018-19 (अक्टूबर. 2019तक)***		***टिप्पणी***
		अनंतिम / अनुमा-नित	*केन्द्रीय अंश*	*अनंतिम / अनुमा-नित*	*केन्द्रीय अंश*	*अनंतिम / अनुमा-नित*	*केन्द्रीय अंश*	*अनंतिम / अनुमा-नित*	*केन्द्रीय अंश*	*अनंतिम / अनुमा-नित*	*केन्द्रीय अंश*	*अनंतिम / अनुमा-नित*	*केन्द्रीय अंश*	
ए	क. नए व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आईएचएल) का निर्माण (प्रत्येक पारिवारिक शौचालयों की लागत पर आधारित)													
	ख. गड्ढे वाले शौचालय को स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित करना(प्रत्येक पारिवारिक शौचालयों की लागत पर आधारित)													
	ग. अस्वच्छकर शौचालय को स्वच्छता शौचालयों में परिवर्तित करना(प्रत्येक पारिवारिक शौचालयों की लागत पर आधारित)													
बी	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण [मानदण्ड: 1 सीट / 25 महिला और 1 सीट / 35 व्यक्ति] (प्रत्येक सीट की लागत पर आधारित)													
सी	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण [मानदण्ड: 1 सीट / 50		-		-		-		-		-		-	

	महिलाएं और 1 सीट / निर्दिष्ट संख्या तक 100 व्यक्ति**] (प्रत्येक सीट की लागत पर आधारित)													
डी	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (1500 रू. प्रति व्यक्ति की प्रति व्यक्ति लागत पर आधारित पर विचार किया जाए, कम और अधिक के संबंध में उचित औचित्य के साथ अलग सीट पर उल्लेख किया जाए)													
ई	क्षमता निर्माण और ए एंड ओई (केन्द्रीय अंश पर 5%)													
ए फ	जन जागरूकता और आईईसी (केन्द्रीय अंश पर 5%)													
	कुल													

अनुलग्नक-V

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर